IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 135/2024 & 267/2024

KHUSBU SINGH ...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ...RESPONDENTS

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	REPLY ON BEHALF OF THE DFO, PRAYAGRAJ, IN COMPLIANCE WITH THE ORDER DATED 10.01.2025. ALONGWITH SUUPORTING AFFIDAVIT.	3-12
2.	**ANNEXURE-1.** Copy of **Notification dated 17.03.2020** declaring a 30 km stretch along both banks of the Ganga as the Kachhua Wildlife Sanctuary.	13-14
3.	**ANNEXURE-2.** Copy of **Letter dated 23.06.2020** appointing District Magistrates as Collectors under Section 18-B of the Wildlife (Protection) Act, 1972, and placing the Sanctuary under the Divisional Forest Officer, Prayagraj.	15
4.	**ANNEXURE-3.** Copies of various **letters/communications** (dated between 14.09.2020 and 24.01.2025) prohibiting sand mining within the Sanctuary and its 10 km radius.	16-33
5.	**ANNEXURE-4.** Copies of **cancellation orders** (dated 01.01.2024, 29.05.2024, and 20.01.2024) issued by the District Magistrate, Mirzapur, revoking sand mining leases within the Sanctuary and its ESZ.	34-40

6.	**ANNEXURE-5.** Copy of **Letter dated 23.08.2024** from the Senior Mining Officer, Prayagraj, confirming cancellation of sand mining leases within the Sanctuary and its ESZ.	41-42
7.	**ANNEXURE-6.** Copy of **Proclamation dated 15.02.2021** by the District Magistrate, Prayagraj, under Section 21 of the Wildlife (Protection) Act, 1972	43
8.	**ANNEXURE-7.** Copy of **Proclamation dated 06.03.2021** by the District Magistrate, Mirzapur, under Section 21 of the Wildlife (Protection) Act, 1972.	44
9.	**ANNEXURE-8.** Copy of **Proclamation dated 20.03.2021** by the District Magistrate, Bhadohi, under Section 21 of the Wildlife (Protection) Act, 1972.	

THROUGH

Priyanka

Date:15.03.2025
Place: New Delhi

PRIYANKA SWAMI
ADVOCATE
STANDING COUNSEL FOR STATE, UTTAR PRADESH
F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014
E-mail:advpriyankaswami@gmail.com

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 135/2024 & 267/2024

KHUSBU SINGH ...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ...RESPONDENTS

REPLY ON BEHALF OF DIVISIONAL FOREST OFFICER PRAYAGRAJ, IN COMPLIANCE WITH THE ORDER DATED 10.01.2025 ALONGWITH THE SUPPORTING AFFIDAVIT

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the present report is submitted pursuant to the directions of this Hon'ble Tribunal in the above-mentioned matters, **Original Application No. 135/2024** and **Original Application No. 267/2024,** wherein the Applicant has raised concerns regarding sand mining activities and the protection of turtles within a notified wildlife sanctuary along the River Ganga in the districts of Bhadohi, Prayagraj, and Mirzapur, Uttar Pradesh. The undersigned (Respondent No. 19) is filing this detailed report to apprise this Hon'ble Tribunal of all relevant facts, notifications, and actions taken in compliance with existing legal and administrative frameworks.

2. That the **Government of Uttar Pradesh, Environment, Forest & Climate Change Section-4**, vide Notification No. 346/81-4-2020-823/2008 TC dated 17.03.2020, declared a **30 km stretch** along both banks of the River Ganga, covering parts of Bhadohi, Prayagraj, and Mirzapur, as the **Kachhua Wildlife Sanctuary**. The notification clarifies that the sanctuary area will "constitute the area in the stretch of 30 Km. along both side of Ganga River

falling in the districts of Bhadohi, Prayagraj and Mirzapur as Kachhua Wildlife Sanctuary as per schedule below:-

Schedule

Districts	Name of river	Area of Kachhua Wildlife Sanctuary
Prayagraj, Bhadohi and Mirzapur	Ganga	Area bounded by both banks of river Ganga in the stretch of 30 km. along main stram of River Ganga.
Boundaries	East (Down 'Stream of the River)	Latitude- 25.273769 Longitude-82.287486 Falling in Revenue Boundary of Village Baripur uparwar, Gyanpur of District Bhadohi.
	West (Up Stream of the River)	Latitude- 25.215000 Longitude-82.194814 Falling in Revenue Boundary of Village Kothari Meja of District Prayagraj.
	North	Left Bank of River Ganga
	South	Right Bank of River Ganga

It encompasses river channel, bounded by both its banks, starting from Village Baripur Uparhar (District Bhadohi) to Village Kothari (District Prayagraj), and includes defined coordinates for geographical reference. This initiative is rooted in the State's policy to conserve endangered turtle species and preserve the biodiversity along the River Ganga.a true copy of the said **Notification dated 17.03.2020** is annexed herewith and marked as **Annexure-1**.

3. That to operationalize the said sanctuary, the **Government of Uttar Pradesh, Environment, Forest & Climate Change Section-4**, through Letter No. 502/81-4-2020, dated 23.06.2020, exercised its powers under **Section 18-B** of the **Wildlife (Protection) Act, 1972**. By this letter, the District Magistrates of Prayagraj, Mirzapur, and Bhadohi were appointed as Collectors for their respective territories falling within the boundary of the newly declared Kachhua Wildlife Sanctuary, and the administrative control of this sanctuary was explicitly conferred upon the Divisional Forest Officer (DFO), Prayagraj (Respondent No. 19). Thus, it delineated a clear

administrative and managerial framework for the protection and management of the sanctuary. A true copy of the **Letter No. 502/81-4-2020, dated 23.06.2020** is annexed herewith and marked as **Annexure-2**.

4. That the Hon'ble Supreme Court of India, in **Writ Petition (Civil) No. 202/1995 (T.N. Godavarman Thirumalakpad vs. Union of India & Others)**, passed an order on **03.06.2022** reiterating that mining activities are to remain prohibited within any National Park or Wildlife Sanctuary. Further, in line with the **Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF&CC)** guidelines dated **09.02.2011**, areas up to a **10 km radius** from the boundary of such parks or sanctuaries are to be treated as an **Eco-Sensitive Zone (ESZ)** if no formal ESZ notification is in force. These directions serve to prevent ecological disturbances and ensure that such sensitive habitats remain protected until a final ESZ notification is issued.

5. That the present Original Applications, being **OA No. 135/2024** and **OA No. 267/2024**, filed by the Applicant, **Ms. Khushboo Singh**, seek, inter alia, (i) the cancellation of any forest clearance certificates or approvals granted for sand mining leases within the Kachhua Wildlife Sanctuary; (ii) the prohibition on sand mining within a 10 km radius from the sanctuary boundary (the default ESZ, pending its formal notification); and (iii) the initiation or conclusion of settlement proceedings under the Wildlife (Protection) Act, 1972, to protect and conserve turtles inhabiting this corridor of the River Ganga.

6. That in pursuance of the aforementioned notifications and to ensure strict adherence to the guidelines of the Hon'ble Supreme Court and the

MoEF&CC, this office (the Divisional Forest Officer, Prayagraj) has issued a series of letters and correspondences to all District Magistrates (Collectors), Mining Officers falling within Prayagraj, Mirzapur, and Bhadohi. These communications stress the prohibition of sand mining within the sanctuary limits or within a 10 km radius thereof, and request the relevant authorities to deny or cancel any forest clearances or mining leases falling within the sanctuary or ESZ domain. In particular, communications bearing numbers 828/15-1 (dated 14.09.2020), 2018/15-1 (dated 14.12.2023), 2630/15-1 (dated 30.01.2024), 2734/15-1 (dated 07.02.2024), 4189/15-1 (dated 16.05.2024), 4472/15-1 (dated 20.06.2024), 4490/15-1 (dated 21.06.2024), District Magistrate Prayagraj's Letter No. 4484/15-1 (dated 20.06.2024), and this office's letters numbered 592/15-1 (dated 27.08.2024) and 2256/15-1 (dated 24.01.2025), have been duly issued. These communications request the relevant authorities to deny or cancel any forest clearances or mining leases falling within the sanctuary or ESZ domain, in alignment with the Supreme Court's orders and State Government policies.Copies of these letters are collectively attached as **Annexure-3**.

7. That upon issuance of the **17.03.2020 Notification** establishing the Kachhua Wildlife Sanctuary, **no new forest clearance certificate** has been issued by the Prayagraj Forest Division for any sand mining lease or related extraction activity within the boundary of the sanctuary or within 10 km thereof. This measure ensures compliance with the legal mandate; the undersigned (Respondent No. 19) has been diligently verifying that no further or fresh approvals contravene the statutory provisions or judicial directives.

8. That in areas where sand mining leases were previously sanctioned (i.e., prior to the sanctuary's formal notification), the respective District Authorities have cancelled those leases. District Magistrate, Mirzapur, for instance, has issued orders cancelling mining leases located within the Kachhua Wildlife Sanctuary and the 10 km ESZ boundary, namely Order No. 7467/MMC-30/Mineral/2023-24 (dated 01.01.2024), Order No. 993/MMC-2024-25 (dated 29.05.2024), and Order No. 7846/MMC-30 (dated 20.01.2024).A true copies of the aforementioned cancellation orders issued by the District Magistrate, Mirzapur, are collectively annexed herewith and marked as **Annexure-4**.

9. That the Senior Mining Officer, Prayagraj, through Letter No. 1703/Mineral/2024-25 (dated 23.08.2024), also confirmed the cancellation of mining leases within the sanctuary and ESZ in Prayagraj District.a true copy of the aforesaid Letter No. 1703/Mineral/2024-25 (dated 23.08.2024) is annexed herewith and marked as **Annexure-5**.

10. That the statutory basis for these actions is enshrined in the **Wildlife (Protection) Act, 1972**, whereby Section 18 provides for the notification of an area as a Wildlife Sanctuary; Section 18-B authorizes the appointment of a Collector to oversee the sanctuary settlement process; Sections 19 to 25 stipulate the procedures for the settlement of rights, including identification and adjudication of any existing rights within the sanctuary area; and Section 26 contemplates the issuance of a final notification once rights have been settled. The Government Notifications (dated 17.03.2020 and 23.06.2020), along with the Supreme Court and NGT guidelines, collectively underpin the ongoing enforcement measures.

11. That the **Notification dated 17.03.2020** explicitly outlines the **area of** the Kachhua Wildlife Sanctuary, specifying the geographical coordinates and delineating the northern and southern banks of the River Ganga as boundaries. It further includes details of the upstream (western) limit near Village Kothari in District Prayagraj and the downstream (eastern) limit near Village Baripur Uparhar in District Bhadohi, ensuring clarity on the exact demarcation of the sanctuary.

12. That **Section 19** of the Wildlife (Protection) Act, 1972, mandates that upon notification of a sanctuary area, the **Collector** (in this case, the respective District Magistrate appointed under Section 18-B) as below:

"Collector to determine rights.—2 [When a notification has been issued under section 18,] the Collector shall inquire into, and determine, the existence, nature and extent of the rights of any person in or over the land comprised within the limits of the sanctuary".

The Collector is vested with quasi-judicial powers to conduct through inquiries, receive claims, and pass reasoned orders for the same.

13. That in continuation of this statutory duty, **settlement proceedings** under **Sections 19 to 25** are currently in progress. These proceedings involve public announcements, registration of claims, and fact-finding inquiries into any pre-existing rights. Only upon conclusive determination and resolution of such claims can a **final notification** under **Section 26** of the Wildlife (Protection) Act, 1972, be issued, thereby cementing the legal status of the sanctuary without any ambiguity concerning individual or community rights within the area.

14. That as part of the settlement process, **Proclamations** under **Section 21** of the Wildlife (Protection) Act, 1972, have been published by the District Magistrates of Prayagraj, Mirzapur, and Bhadohi on different dates.

I. That a true copy of the Proclamation dated 15.02.2021 issued by the District Magistrate, Prayagraj, is annexed herewith and marked as **Annexure-6**.

II. That a true copy of the Proclamation dated 06.03.2021 issued by the District Magistrate, Mirzapur, is annexed herewith and marked as **Annexure-7**.

III. That a true copy of the Proclamation dated 20.03.2021 issued by the District Magistrate, Bhadohi, is annexed herewith and marked as **Annexure-8**.

15. That until these rights are settled and the **Eco-Sensitive Zone (ESZ)** is formally notified, the **10 km radius** from the sanctuary boundary is treated as the **default ESZ**, wherein mining and other activities that may adversely affect wildlife and ecology remain strictly restricted. These measures align with judicial pronouncements and ministerial guidelines aimed at environmental preservation and wildlife protection.

16. Thus far, it is evident that the **State Authorities** have diligently implemented the **17.03.2020 Notification** establishing the Kachhua Wildlife Sanctuary. The **District Administrations** of Prayagraj, Mirzapur, and Bhadohi have revoked or cancelled pre-existing sand mining leases within the sanctuary and its ESZ. Furthermore, **no new forest clearances** or mining leases have been issued by the Prayagraj Forest Division post-notification, ensuring

continued compliance with the prohibitions in place. The ongoing settlement proceedings demonstrate the State's commitment to balancing conservation with legitimate local interests, if any.

17. That in summation, the undersigned (Respondent No. 19) affirms that all relevant directives from the **Government of Uttar Pradesh**, the **Hon'ble Supreme Court**, and the **Ministry of Environment, Forest & Climate Change** have been faithfully complied with. Any mining activities within the sanctuary or its default 10 km ESZ have been halted, and settlement procedures under the Wildlife (Protection) Act, 1972, are continuing in a transparent and structured manner.

18. That the above facts and actions undertaken stand submitted for the kind consideration of this Hon'ble Tribunal. This report is tendered with utmost respect, reflecting the sincere efforts of the undersigned to protect the ecosystem, particularly the habitat of endangered turtles, and to comply with the legal framework governing wildlife conservation in Uttar Pradesh.

THROUGH

Priyanka

Date:15.03.2025
Place: New Delhi

PRIYANKA SWAMI
ADVOCATE
STANDING COUNSEL FOR STATE, UTTAR PRADESH
F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014
E-mail:advpriyankaswami@gmail.com

NOTARY R. C. OJHA Advocate Notary H.Q. Alld Reg.No. 20(20)2081 Exp. Date 2-2-2026 GOVT. OF U.P.

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 135/2024 & 267/2024

KHUSBU SINGH ...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ...RESPONDENTS

AFFIDAVIT

I, **Arvind Kumar Yadav,** aged about 43 years s/o Sh. Satya Prakash Yadav is presently posted as **DIVISIONAL FOREST OFFICER,PRAYAGRAJ, UP.**

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Tribunal.

2. That the accompanying Reply has been drafted by our counsel upon my instructions.

18-3-25

3. That the contents of the accompanying Reply are true and correct, and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.

This document has been signed before me ... AM/PM of ... Place at Allahabad the document is /are identified by shri ... Advocate the Contents of the document has been explained to the executed was admit the to be Correct And the documents is attested

Ramesh Chandra Ojha
Advocate Notary
... Head Quarter ...

18-3-25

DEPONENT

R. C. Ojha
Advocate Notary
Distt. Head Quarter
Allahabad

VERIFICATION

Verified on solemn affirmation at Prayagraj on this 18 day of March 2025, that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY
R.C. OJHA
Advocate Notary
H.Q. Alld
Reg.No. 20(20)20
Exp. Date
2-3-2026
GOVT. OF U.P.

R. C. Ojha
Advocate Notary
Distt. Head Quarter
Allahabad

This documents ... signed before me
of ....
Place at Allahabad the document is /are
identified by Shri........ ...
Advocate the Contents of the document
has been explained to the executed was
admit the to be Correct
And the documents ... attested

18-3-25

Ramesh Chandra Ojha
Advocate Notary
Distt. Head Quarter Alld.

ANNEXURE-1

क्रम संख्या–74

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 17 मार्च, 2020

फाल्गुन 27, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4

संख्या 346/81-4–2020-823-2008 टी०सी

लखनऊ, 17 मार्च, 2020

अधिसूचना

प०आ०–85

चूँकि राज्य सरकार की राय है कि नीचे अनुसूची में विस्तृत रूप मे उल्लिखित क्षेत्र वन्यजीव एवं उसके पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पारिस्थितिक, प्राणिजात, वनस्पतिजात, भू–आकृतिजात, प्राकृतिक तथा प्राणिवैज्ञानिक महत्व का है।

अतएव, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (अधिनियम संख्या 53 सन् 1972) की धारा 18 की उपधारा(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल जिला भदोही, प्रयागराज एवं मिर्जापुर के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटो से आबद्ध 30 किमी० लम्बाई में फैले क्षेत्र को नीचे अनुसूची के अनुसार कछुआ वन्यजीव विहार के रूप में स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा करती है:–

अनुसूची

जिला	नदी का नाम	कछुआ वन्य जीव विहार का क्षेत्र
प्रयागराज, भदोही और मिर्जापुर	गंगा	गंगा नदी के दोनो तटो से सीमाबद्ध गंगा नदी के मुख्य धारा का 30 किमी० लम्बाई मे फैला क्षेत्र
	पूरब (नदी का अधो: प्रवाह)	ग्राम– बारीपुर उपरवार, ज्ञानपुर, जिला–भदोही की राजस्व सीमा मे.– अक्षांश– 25.273769 देशान्तर–82.287486

30 Rph Paryavaran, van anu-4, 2020, data-7

NOTARY
R.C. OJHA
Advocate Notary
H.C. Alld.
Reg.No. 20(20)2011
Exp Date
2-2-2026
GOVT. OF U.P.

सीमाएं	पश्चिम(नदी का उर्ध्व प्रवाह)	ग्राम कोठरी, मेजा, जिला-प्रयागराज की राजस्व सीमा में - अक्षांश- 25.215000, देशान्तर-82.194814
	उत्तर	गंगा नदी का उत्तरी तट
	दक्षिण	गंगा नदी का दक्षिणी तट

आज्ञा से,
सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 346/LXXXI-4-2020-823/2008 T.C., Dated March 17, 2020:

No. 346/LXXXI-4-2020-823/2008 T.C.
Dated Lucknow, March 17, 2020

WHEREAS the State Government considers that the area, detailed in the Schedule below is of adequate ecological, faunal, floral, geomorphological, natural and zoological significance for the purpose of protecting, propagating and developing Wildlife therein and its environment;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred under sub-section(1) of section 18 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (Act no. 53 of 1972), the Governer is pleased to declare its intention to constitute the area in the stretch of 30 km. along both sides of Ganga River falling in the districts of Bhadohi, Prayagraj and Mirzapur as Kachhua Wildlife Sanctuary as per schedule below:-

Schedule

Districts	Name of river	Area of Kachhua Wildlife Sanctuary
Prayagraj, Bhadohi and Mirzapur	Ganga	Area bounded by both banks of river Ganga in the stretch of 30 km. along main stream of River Ganga.
Boundaries	East (Down Stream of the River)	Latitude- 25.273769 Longitude-82.287486 Falling in Revenue Boundary of Village Baripur uparwar, Gyanpur of District Bhadohi.
	West (Up Stream of the River)	Latitude- 25.215000 Longitude-82.194814 Falling in Revenue Boundary of Village Kothari, Meja of District Prayagraj.
	North	Left Bank of River Ganga
	South	Right Bank of River Ganga

By order,
SUDHIR GARG,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 30 राजपत्र-2020-(63)-599 प्रतियां (क०/डी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 2 सा० पर्यावरण -2020-(64)-200 प्रतियां (क०/डी०/ऑफसेट)।

30 Rph Paryavaran, van anu-4-2020 -data-7

ANNEXURE-2

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4
संख्या–502/81–4–2020
लखनऊ, दिनांक 23 जून, 2020

कार्यालय ज्ञाप

जनपद–प्रयागराज, नवाबा के निकट कछुआ वन्य जीव विहार अधिसूचित किये जाने विषयक अधिसूचना संख्या–346/81–4–2020–823/2008, दिनांक 17.03.2020 के क्रम में प्रस्तावित क्षेत्र में अधिकारों की विनिश्चयन की कार्यवाही हेतु वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा–18बी के तहत जिलाधिकारी, प्रयागराज, मिर्जापुर, तथा भदोही को सम्बन्धित जनपद के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्र हेतु कलेक्टर एवं उक्त वन्यजीव विहार को प्रभागीय वनाधिकारी, प्रयागराज वन प्रभाग, प्रयागराज के नियंत्रणाधीन रखने पर श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आशीष तिवारी
विशेष सचिव।

संख्या–502(1)/81–4–2020 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1–प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।

2–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0 को उनके पत्र संख्या–3547/26–11(कछुआ वन्यजीव विहार) दिनांक 03.06.2020 के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि कृपया पत्र की प्रतिलिपि सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए प्रकरण में नियमानुसार यथावश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

3–जिलाधिकारी, प्रयागराज/मिर्जापुर/भदोही।

4–प्रभागीय वनाधिकारी, प्रयागराज वन प्रभाग, प्रयागराज।

5–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(डॉ0 दीपक कोहली)
उप सचिव।

NOTARY
R.C. OJHA
Advocate Notary
H.C. Alld.
Reg No. 2020/2031
Exp Date 2-2-2025
GOVT. OF U.P.

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभागीय, प्रयागराज।
पत्रांक–828 / 15–1 दिनांक, प्रयागराज सितम्बर 14 ,2020।

सेवा में,

1–जिलाधिकारी,
प्रयागराज।

2–जिलाधिकारी,
भदाही।

3–जिलाधिकारी,
मिर्जापुर।

विषयः–जनपद प्रयागराज, भदोही व मिर्जापुर में गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30 कि.मी0 लम्बाई में फैले क्षेत्र को "कछुआ वन्य जीव विहार" के रूप में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4, की विज्ञप्ति संख्या–346 / 81–4–2020–823–2008 टी.सी. दिनांक 17.03.2020 एवं शासनादेश संख्या 502 / 81–4–2020 दिनांक 23.06.2020।

महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4, द्वारा जारी शासनादेश संख्या–346 / 81–4–2020–823–2008 टी.सी. दिनांक 17.03.2020 के द्वारा वन्यजीव एवं उसके पर्यावरण, संरक्षण, संवर्धन एवं विकास के प्रयोजन के लिये पर्याप्त पारिस्थितिक, प्राणिजात, वनस्पतिजात, भू–आकृतिजात, प्राकृतिक तथा प्राणि–वैज्ञानिक महत्व को देखते हुये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1927 की धारा–18 की उपधारा–(1) के अधीन जिला भदोही, प्रयागराज एवं मिर्जापुर के अर्न्तगत गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30 कि.मी. की लम्बाई में फैले क्षेत्र, जिसकी सीमाएं डाउन स्ट्रीम में ग्राम बारीपुर उपरवार, ज्ञानपुर जिला भदोही की राजस्व सीमा में, अप स्ट्रीम में ग्राम कोठारी, मेजा, जिला–प्रयागराज की राजस्व सीमा में तथा उत्तर दिशा में गंगा का उत्तरी तट एवं दक्षिण दिशा में गंगा नदी का दक्षिणी तट की सीमा को सम्मिलित करते हुए *"कछुआ वन्य जीव विहार"* के रूप में स्थापित करने हेतु घोषणा की गयी है। अर्थात उक्त क्षेत्र की सीमाएं अब *"कछुआ वन्य जीव विहार"* के रूप में जानी जायेगी।

उक्त क्षेत्र के कछुआ वन्य जीव विहार घोषित हो जाने के कारण इस क्षेत्र में वन्य जीव एवं उसके पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास के प्रयोजन हेतु किये जाने वाले कार्य ही

R.C. OJHA
Advocate Notary
H.C. All.
Reg No. 20/20/2021
Exp Date
2-2-2025
GOVT. OF U.P.

अनुमन्य होगे। इसके विपरीत किये जाने वाला कोई भी कार्य यथा मत्स्य आखेट, खनन, कच्चा व पक्का निर्माण, सक्षम स्तर की अनुमति के बगैर वन्य जीव विहार में प्रवेश एवं अन्य कार्य पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगें जब तक कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा अनुमति प्रदान न कर दी जाये। उक्त शासनादेश के जारी होने के उपरान्त उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र का प्रबन्धन उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4, द्वारा जारी शासनादेश संख्या–502/81–4–2020 दिनांक 23.06.2020 द्वारा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग प्रयागराज के नियंत्रणाधीन रखा गया है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार वर्णित "कछुआ वन्य जीव विहार" के प्रवन्धन में अपना सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– 1–उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4, की विज्ञप्तिसंख्या–346/81–4–2020–823 –2008 टी.सी. दिनांक 17.03.2020

2– शासनादेश संख्या 502/81–4–2020 दिनांक 23.06.2020।

भवदीय,

(वाई0पी0शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
प्रयागराज।

संख्या– 828 /सम दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–मुख्य वन संरक्षक दक्षिणी क्षेत्र, उ0प्र0, प्रयागराज।

2–मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, मिर्जापुर।

3–वन संरक्षक/क्षेत्रीयनिदेशक, प्रयागराज वृत्त, उ0प्र0, प्रयागराज।

4–ज्येष्ठ खान अधिकारी, प्रयागराज/मिर्जापुर/भदोही।

5– उप जिलाधिकारी मेजा।

6–उप प्रभागीय वनाधिकारी प्रयागराज।

7–क्षेत्रीय वन अकिारी मेजा।

(वाई0पी0शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
प्रयागराज।

NOTARY
R.C. OJHA
Advocate Notary
H.C. Alld
Reg.No. 20(20)2001
Exp. Date
2-2-2026
GOVT. OF U.P.

4 50

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

पत्रांक– 2018 / 15–1 दिनांक, प्रयागराज, दिसम्बर, 14, 2023।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रयागराज, मिर्जापुर एवं भदोही।

विषय:– जनपद–प्रयागराज, भदोही एवं मिर्जापुर अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30 किमी तक फैले क्षेत्र जिसे उ0प्र0 शासन की अधिसूचना सं0–346 / 81–4–2020–823 / 2008 टी0सी0, दिनांक 17.03.2020 द्वारा कछुआ वन्य जीव विहार घोषित किया गया है में बालू खनन, पट्टाधारकों द्वारा बालू खनन व नाविकों / स्थानीय ग्रामीणों द्वारा किये जा रहे मत्स्य शिकार को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4 का पत्रांक–502 / 81–4–2020, दिनांक 23.06.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जो इस कार्यालय के साथ आपको भी प्रतिलिपि है का अवलोकन करने का कष्ट करें। जैसा कि अवगत है कि उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4 संख्या–346 / 81–4–2020–823 / 2008 टी0सी0 लखनऊ, दिनांक 17.03.2020 द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम–1927 की धारा–18 की उपधारा (1) के अधीन श्री राज्य पाल महोदय द्वारा जनपद–भदोही, प्रयागराज एवं मिर्जापुर के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30 किमी0 लम्बाई में फैले क्षेत्र को कछुआ वन्य जीव विहार के रूप में स्थापित करने का घोषणा की गयी है।

अनुसूची

जिला	नदी का नाम	कछुआ वन्यजीव विहार का क्षेत्र
1	2	3
प्रयागराज, भदोही और मिर्जापुर	गंगा	गंगा नदी के दोनों तटों से सीमाबद्ध गंगा नदी के मुख्य धारा का 30 किमी0 लम्बाई में फैला क्षेत्र
सीमाएं	पूरब (नदी का अधो: प्रवाह)	ग्राम–बारीपुर उपरहार, ज्ञानपुर, जिला–भदोही की राजस्व सीमा में:– अक्षांश– 25.273769 देशान्तर– 82.287486
	पश्चिम (नदी का उर्ध्व प्रवाह)	ग्राम–कोठरी, मेजा, जिला–प्रयागराज की राजस्व सीमा में:– अक्षांश– 25.215000 देशान्तर– 82.194814
	उत्तर	गंगा नदी का उत्तरी तट
	दक्षिण	गंगा नदी का दक्षिणी तट

ज्ञातव्य हो कि उपरोक्त कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30 किमी0 लम्बाई में जनपद–प्रयागराज के तहसील–मेजा, जनपद–भदोही के तहसील–ज्ञानपुर व जनपद–मिर्जापुर के तहसील–सदर अन्तर्गत स्थित विभिन्न ग्रामों की सीमायें गंगा नदी की सीमा से मिलती है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

जनपद प्रयागराज– इस जनपद के तहसील–मेजा के विभिन्न ग्रामों–कोठरी, अछोला, चौकठा नरवर, चौकठा उपरहार, कुशमा उपरहार, बभनी हेठार, बेरूका, उमापुर, डेगुरपुर, महेवाखुर्द, महेवाकला, बादपुर कछार, बादपुर उपरहार, बामपुर कछार एवं बामपुर उपरहार की सीमायें गंगा नदी की सीमा से मिलती है।

जनपद मिर्जापुर– इस जनपद के तहसील–सदर के विभिन्न ग्रामों–मिश्रपुर, नगवासी, बसेवरा कला, खैरा, गोगाँव, बेहरा, देवारी मुगौरा, कासी सरपाती, भौरूपुर सतलपत्ती, बसेवरा खुर्द, बजाता, अर्जीखेरा, चकचेहरा एवं चककौन की सीमायें गंगा नदी की सीमा से मिलती है।

जनपद भदोही– इस जनपद के तहसील–ज्ञानपुर के विभिन्न ग्रामों–बहुपुरा उपरवार, बकत उपरवार एन बारीपुर, बारीपुरू उपरवार, भूरी उपरवार, चकिया उपरवार, छेछुआ उपरवार, हरिरामपुर उपरवार, पुरेदुखा, इतहरा उपरवार, कलिक मवैया उपरवार, कुण्डीकला उपरवार, कुण्डी खुर्द उपरवार, लखनपुर भदरान उपरवार, मरहाच उपरवार, मवैयाबारा गोती उपरवार, मवैयत वसिम उपरवार, नारेपुर उपरवार, शेरपुर उपरवार, तरही उपरवार, तुलसी कला उपरवार, छेछुतारी, बनकरतारी एवं बारीपुर, भूरी तारी, भुरीतारी, इतहरा तारी, कलिक मवैया तारी, कुण्डी कला तारी, कुण्डी खुर्द तारी, लखनपुर भदरान तारी, मवैया थान सिंह तारी, सझरा तारी एवं हरिरामपुर तारी की सीमायें गंगा नदी की सीमा से मिलती है।

GOVT. OF U.P.

उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशानुसार वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम–1972 की धारा–18–बी के तहत जिलाधिकारी, प्रयागराज, मिर्जापुर तथा भदोही को सम्बन्धित जनपद के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्र हेतु कलेक्टर एवं उक्त वन्य जीव विहार को प्रभागीय वनाधिकारी, प्रयागराज के नियंत्रणाधीन रखने पर श्री राज्यपाल महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका सं0–202/1995 (रिट पिटीशन सिविल) टी0एन0 गोडावर्मन थिरूमलकपाद बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक–03.06.2022 के बिन्दु सं0–44 (सी) में दिनांक–09.02.2011 के गाइडलाइन्स के सम्यक अनुपालन एवं उक्त आदेश दिनांक 03.06.2022 के बिन्दु सं0 44 (डी) में नेशनल पार्क व वन्य जीव सेन्चुरी में खनन कार्य को प्रतिबन्धित किया गया है। साथ ही उक्त आदेश के क्रम में वन्य जीव विहार, प्रयागराज की सीमा से बाहर कम से कम 1 किमी की दूरी तक के क्षेत्र को ईको सेन्सिटिव जोन बनाया जाना है जो प्रक्रिया में है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ईको सेन्सिटिव जोन का निर्धारण न होने की दशा में 10 किमी की परिधि को ईको सेन्सिटिव जोन माना जायेगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों के क्रम में अनुरोध है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश व सन्दर्भित शासनादेश के क्रम में उक्त वन्य जीव विहार में कछुओं व अन्य जलीय जीवों के संरक्षण हेतु गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30 किमी लम्बाई में फैले क्षेत्र में व इसकी सीमा से बाहर कम से कम 10 किमी तक (ईको सेन्सिटिव जोन) में बालू खनन हेतु कोई नवीन खनन पट्टा स्वीकृत न किया जाये तथा पूर्व स्वीकृत बालू खनन पट्टों को तत्काल निरस्त करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें, ताकि नव स्थापित कछुआ वन्य जीव विहार में वन्य जीव अधिनियम के प्राविधानों एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का किसी तरह का उल्लंघन न होने पाएं।

(महावीर कौजलगी)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

संख्या 2018 / समदिनांक।

1. प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी क्षेत्र उ0प्र0, प्रयागराज/मंडलीय मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर क्षेत्र, मिर्जापुर।
2. प्रतिलिपिः– मंडलायुक्त प्रयागराज एवं मिर्जापुर।
3. प्रतिलिपिः– वन संरक्षक, प्रयागराज वृत्त, प्रयागराज।
4. प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी, भदोही एवं मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित की अपने जनपद अन्तर्गत गंगा नदी एवं आस–पास के क्षेत्र में खनन अनापत्ति देने से पूर्व वन्य–जीव विहार एवं 10 किमी ईको सेन्सिटिव जोन के प्रविधानों का ध्यान में रखें एवं किसी तरह का उल्लंघन न हो तथा पुराना कोई नदी में बालू खनन पट्टे प्रचलित हों तो उपरोक्तानुसार सम्बन्धित अधिकारियों को ध्यानाकर्षित कर विधिक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
5. प्रतिलिपिः– जिला खनन अधिकारी, प्रयागराज, मिर्जापुर एवं भदोही को इस आशय से प्रेषित कि जनपद के अन्तर्गत गंगा नदी एवं आस–पास के क्षेत्र में बालू खनन पट्टा देने से पूर्व कछुआ वन्य जीव विहार एवं 10 किमी का ईको सेन्सिटिव जोन के प्रविधानों का ध्यान में रखें जिससे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का किसी तरह का उल्लंघन न हो।

(महावीर कौजलगी)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

NOTARY

महत्वपूर्ण 43

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

पत्रांक— 2630/15—1 दिनांक, प्रयागराज, जनवरी, 30, 2024।

सेवा में,

ज्येष्ठ खान अधिकारी,
प्रयागराज।

विषयः— जनपद—प्रयागराज, भदोही एवं मिर्जापुर में संयुक्त रूप से स्वीकृत कछुआ सेन्चुरी के इको—सेंसटिव जोन के 10 किमी परदी के अन्तर्गत संचालित (जनपद—इलाहाबाद के तहसील—मेजा स्थित ग्राम—परानीपुर—III, क्षे0—5.00 हे0) गंगा नदी बालू खनन पट्टा को अविलम्ब प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— श्रीमती खूशबू सिंह का शिकायती पत्र दिनांक—20.01.2024 एंव जिलाधिकारी प्रयागराज का पृष्ठांकन दिनांक—23.01.2024

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र की छाया प्रति संलग्न कर भेजा जा रही है का अवलोकन करने का कष्ट करें। जैसा कि आप अवगत है कि उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग—4 संख्या—346/81—4—2020—823/2008 टी0सी0 लखनऊ, दिनांक 17.03.2020 द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम—1927 की धारा—18 की उपधारा (1) के अधीन श्री राज्य पाल महोदय द्वारा जनपद—भदोही, प्रयागराज एवं मिर्जापुर के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30 किमी0 की लम्बाई में फैले क्षेत्र को कछुआ वन्य जीव विहार के रूप में स्थापित करने का घोषणा की गयी है।

अनुसूची

जिला	नदी का नाम	कछुआ वन्यजीव विहार का क्षेत्र
1	2	3
प्रयागराज, भदोही और मिर्जापुर	गंगा	गंगा नदी के दोनों तटों से सीमाबद्ध गंगा नदी के मुख्य धारा का 30 किमी0 लम्बाई में फैला क्षेत्र
सीमाएं	पूरब (नदी का अधोः प्रवाह)	ग्राम—बारीपुर उपरहार, ज्ञानपुर, जिला—भदोही की राजस्व सीमा में:— अक्षांश— 25.273769 देशान्तर— 82.287486
	पश्चिम (नदी का उर्ध्व प्रवाह)	ग्राम—कोठरी, मेजा, जिला—प्रयागराज की राजस्व सीमा में:— अक्षांश— 25.215000 देशान्तर— 82.194814
	उत्तर	गंगा नदी का उत्तरी तट
	दक्षिण	गंगा नदी का दक्षिणी तट

उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग—4 के पत्रांक—502/81—4—2020, दिनांक 23.06.2020 द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम—1972 की धारा—18—बी के तहत जिलाधिकारी, प्रयागराज, मिर्जापुर तथा भदोही को सम्बन्धित जनपद के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्र हेतु कलेक्टर एवं उक्त वन्य जीव विहार को प्रभागीय वनाधिकारी, प्रयागराज के नियंत्रणाधीन रखने पर श्री राज्यपाल महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका सं0—202/1995 (रिट पिटीशन सिविल) टी0एन0 गोडावर्मन थिरूमलकपाद बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक—03.06.2022 के बिन्दु सं0—44 (सी) में दिनांक—09.02.2011 के गाइडलाइन्स के सम्यक अनुपालन एवं **उक्त आदेश दिनांक 03.06.2022 के बिन्दु सं0 44 (डी) में नेशनल पार्क व वन्य जीव सेन्चुरी में खनन कार्य को प्रतिबन्धित किया गया है।** उक्त आदेश के क्रम में कछुआ वन्य जीव विहार, प्रयागराज की सीमा से बाहर कम से कम 1 किमी की दूरी तक के क्षेत्र को ईको सेन्सिटिव जोन (ESZ) बनाया जाना है जो प्रक्रियाधीन है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ईको सेन्सिटिव जोन (ESZ) के निर्धारण न होने की तक 10 किमी0 की परिधि के क्षेत्र को ईको सेन्सिटिव जोन (ESZ) माने जाने का प्रावधान है।

ज्ञातव्य हो कि सन्दर्भित पत्र द्वारा जनपद—प्रयागराज के तहसील—मेजा अन्तर्गत स्थित ग्राम—परानीपुर—III की सीमा में गंगा नदी के खण्ड सं0—31 क्षेत्रफल 5.00 हे0 में श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री पंजाब सिंह के पक्ष में बालू खनन हेतु स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र को कछुआ वन्य जीव विहार के क्षेत्र (अक्षांश 25.215000 देशान्तर 82.194814 ग्राम—कोठरी, मेजा, जिला—प्रयागराज) की सीमा से बाहर 10 किमी तक ईको सेन्सिटिव जोन (ESZ) की परिधि में बताया गया है।

अतः मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश व सन्दर्भित शासनादेश के आलोक में अपेक्षा है कि उक्त कछुआ वन्य जीव विहार में कछुओं व अन्य जलीय जीवों के संरक्षण हेतु गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30 किमी लम्बाई में फैले क्षेत्र में व इसकी सीमा से बाहर 10 किमी तक ईको सेन्सिटिव जोन (ESZ) में बालू खनन हेतु कोई नवीन खनन पट्टा स्वीकृत न किया जाये तथा पूर्व स्वीकृत खनन पट्टों को तत्काल निरस्त करने की कार्यवाही करते हुए इस कार्यालय का अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे नव स्थापित कछुआ वन्य जीव विहार में वन्य जीव अधिनियम के प्रावधानों एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का किसी तरह का उल्लंघन न होने पाएं।

(महावीर कौजलगी)
वन संरक्षक/प्रभारी प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

संख्या 2630 / **समदिनांक।**
प्रतिलिपिः— जिलाधिकारी, प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(महावीर कौजलगी)
वन संरक्षक/प्रभारी प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग/प्रयागराज।

NOTARY R. C. OJHA

41

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

पत्रांक–2734 / 15–1 दिनांक, प्रयागराज, फरवरी, 07 2024।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रयागराज, मिर्जापुर एवं भदोही।

विषयः– **जनपद–प्रयागराज, भदोही एवं मिर्जापुर अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30 किमी तक फैले क्षेत्र जिसे उ0प्र0 शासन की अधिसूचना सं0–346/81–4–2020–823/2008 टी0सी0, दिनांक 17.03.2020 द्वारा कछुआ वन्य जीव विहार घोषित किया गया है में बालू खनन, पट्टाधारकों द्वारा बालू खनन व नाविकों/स्थानीय ग्रामीणों द्वारा किये जा रहे मत्स्य शिकार को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4 का पत्रांक–502/81–4–2020, दिनांक 23.06.2020 एवं इस कार्यालय का पत्रांक–2018/15–1, दिनांक–14.12.2023

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि जनपद–प्रयागराज, भदोही एवं मिर्जापुर अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30 किमी तक फैले क्षेत्र जिसे उ0प्र0 शासन की अधिसूचना सं0–346/81–4–2020–823/2008 टी0सी0, दिनांक 17.03.2020 द्वारा कछुआ वन्य जीव विहार घोषित किया गया है के सीमा निर्धारण एवं बन्दोबस्ती (Settlement) की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। डॉ0 संजय कुमार निषाद माननीय मंत्री, मत्स्य विभाग, उ0प्र0 के पत्र दिनांक–07.02.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र दिनांक–14.12.2023 के प्रभाव से गंगा क्षेत्र के किनारे रहने वाले ग्रामीण मछुआरों की अजीविका तथा अवागमन के अवरूद्ध होने का उल्लेख किया गया है। इन विषयों पर बन्दोबस्त की कार्यवाही के साथ समाधान होने तक इस कार्यालय का सन्दर्भित पत्र दिनांक–14.12.2023 में उल्लिखित स्थानीय मछुआरों के अजीविका तथा आवागमन सम्बन्धित बिन्दुओं को उस हद तक अप्रभावी किया जाता है।

भवदीय,

(महावीर कौजलगी)
वन संरक्षक/प्रभारी प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

संख्या 2734 / समदिनांक।

1. **प्रतिलिपिः–** प्रभागीय वनाधिकारी, भदोही एवं मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. **प्रतिलिपिः–** जिला खनन अधिकारी, प्रयागराज, मिर्जापुर एवं भदोही को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(महावीर कौजलगी)
वन संरक्षक/प्रभारी प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

NOTARY R. C. OJHA GOVT. OF U.P.

अतिआवश्यक / महत्वपूर्ण

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

पत्रांक– 4189 / 15–1 दिनांक, प्रयागराज, मई, 16, 2024।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रयागराज, मिर्जापुर एवं भदोही।

विषयः– **जनपद–प्रयागराज, भदोही एवं मिर्जापुर अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30 किमी तक फैले क्षेत्र जिसे उ0प्र0 शासन की अधिसूचना सं0–346 / 81–4–2020–823 / 2008 टी0सी0, दिनांक 17.03.2020 द्वारा कछुआ वन्य जीव विहार घोषित किया गया है में बालू खनन, पट्टाधारकों द्वारा बालू खनन प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4 का पत्रांक–502 / 81–4–2020, दिनांक 23.06.2020 एवं इस कार्यालय का पत्रांक–2018 / 15–1, दिनांक–14.12.2023 तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली का आदेश दिनांक–18.04.2024

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली का आदेश दिनांक–18.04.2024 (छाया प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। जैसा कि अवगत है कि उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4 संख्या–346 / 81–4–2020–823 / 2008 टी0सी0 लखनऊ, दिनांक 17.03.2020 द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम– 1927 की धारा–18 की उपधारा (1) के अधीन श्री राज्य पाल महोदय द्वारा जनपद–भदोही, प्रयागराज एवं मिर्जापुर के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30 किमी0 लम्बाई में फैले क्षेत्र को कछुआ वन्य जीव विहार के रूप में स्थापित करने का घोषणा की गयी है।

अनुसूची

जिला	नदी का नाम	कछुआ वन्यजीव विहार का क्षेत्र
1	2	3
प्रयागराज, भदोही और मिर्जापुर	गंगा	गंगा नदी के दोनों तटों से सीमाबद्ध गंगा नदी के मुख्य धारा का 30 किमी0 लम्बाई में फैला क्षेत्र
सीमाएं	पूरब (नदी का अधोः प्रवाह)	ग्राम–बारीपुर उपरहार, ज्ञानपुर, जिला–भदोही की राजस्व सीमा में:– अक्षांश– 25.273769 देशान्तर– 82.287486
	पश्चिम (नदी का उर्ध्व प्रवाह)	ग्राम–कोठरी, मेजा, जिला–प्रयागराज की राजस्व सीमा में:– अक्षांश– 25.215000 देशान्तर– 82.194814
	उत्तर	गंगा नदी का उत्तरी तट
	दक्षिण	गंगा नदी का दक्षिणी तट

उपरोक्त कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30 किमी0 लम्बाई में जनपद–प्रयागराज के तहसील–मेजा, जनपद–भदोही के तहसील–ज्ञानपुर व जनपद–मिर्जापुर के तहसील–सदर अन्तर्गत स्थित विभिन्न ग्रामों की सीमायें गंगा नदी की सीमा से मिलती है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

जनपद प्रयागराज– इस जनपद के तहसील–मेजा के विभिन्न ग्रामों–कोठरी, अछोला, चौकठा नरवर, चौकठा उपरहार, कुशमा उपरहार, बभनी हेठार, बेरूका, उमापुरं, डेगुरपुर, महेवाखुर्द, महेवाकला, बादपुर कछार, बादपुर उपरहार, बामपुर कछार एवं बामपुर उपरहार की सीमायें गंगा नदी की सीमा से मिलती है।

जनपद मिर्जापुर– इस जनपद के तहसील–सदर के विभिन्न ग्रामों–मिश्रपुर, नगवासी, बसेवरा कला, खैरा, गोगॉव, बेहरा, देवारी मुगौरा, कासी सरपाती, भौरूपुर सतलपत्ती, बसेवरा खुर्द, बजता, अर्जीखेरा, चकचेहरा एवं चककौन की सीमायें गंगा नदी की सीमा से मिलती है।

जनपद भदोही– इस जनपद के तहसील–ज्ञानपुर के विभिन्न ग्रामों–[illegible]पुरा उपरवार, बकत उपरवार एन बारीपुर, बारीपुरू उपरवार, भूरी उपरवार, चकिया उपरवार, छेछुआ उपरवार, हरिरामपुर उपरवार, पुरेदुखा, इतहरा उपरवार, कलिक मवैया उपरवार, कुण्डीकला उपरवार, कुण्डी खुर्द उपरवार, लखनपुर भदरान उपरवार, मरहाच उपरवार, मवैयावारा गोती उपरवार, मवैयत वसिंग उपरवार, नारेपर उपरवार, [illegible] उपरवार, तरही उपरवार, तुलसी कला उपरवार, छेछुतारी, बनकरतारी एवं बारीपुर, भभौरी तारी, भुरैतारी, [illegible] तारी, कलिक मवैया तारी, कुण्डी कला तारी, कुण्डी खुर्द तारी, लखनपुर भदरौ तारी, मवैया थान सिंह तारी, [illegible] तारी एवं हरिरामपुर तारी की सीमायें गंगा नदी की सीमा से मिलती है।

NOTARY R.C. OJHA GOVT. OF [illegible]

उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशानुसार वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम–1972 की धारा–18–बी के तहत जिलाधिकारी, प्रयागराज, मिर्जापुर तथा भदोही को सम्बन्धित जनपद के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्र हेतु कलेक्टर एवं उक्त वन्य जीव विहार को प्रभागीय वनाधिकारी, प्रयागराज के नियंत्रणाधीन रखने पर श्री राज्यपाल महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका सं0–202/1995 (रिट पिटीशन सिविल) टी0एन0 गोडावर्मन थिरूमलकपाद बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक–03.06.2022 के बिन्दु सं0–44 (सी) में दिनांक–09.02.2011 के गाइडलाइन्स के सम्यक अनुपालन एवं उक्त आदेश दिनांक 03.06.2022 के बिन्दु सं0 44 (डी) में नेशनल पार्क व वन्य जीव सेन्चुरी में खनन कार्य को प्रतिबन्धित किया गया है। साथ ही उक्त आदेश के क्रम में वन्य जीव विहार, प्रयागराज की सीमा से बाहर कम से कम 1 किमी की दूरी तक के क्षेत्र को ईको सेन्सिटिव जोन बनाया जाना है जो प्रक्रिया में है। **मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ईको सेन्सिटिव जोन का निर्धारण न होने की दशा में 10 किमी की परिधि को ईको सेन्सिटिव जोन माना जायेगा।**

अतः उपरोक्त तथ्यों के क्रम में अनुरोध है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश व मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली का आदेश दिनांक–18.04.2024 तथा सन्दर्भित शासनादेश के क्रम में उक्त वन्य जीव विहार में कछुओं व अन्य जलीय जीवों के संरक्षण हेतु गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30 किमी लम्बाई में फैले क्षेत्र में व इसकी सीमा से बाहर कम से कम 10 किमी तक (ईको सेन्सिटिव जोन) में **बालू खनन की संक्रिया पर रोक लगाया जाये तथा बालू खनन हेतु कोई नवीन खनन पट्टा स्वीकृत न किया जाये तथा पूर्व स्वीकृत बालू खनन पट्टों को तत्काल निरस्त करने की कार्यवाही करते हुए इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि नव स्थापित कछुआ वन्य जीव विहार में वन्य जीव अधिनियम के प्रावधानों एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेशों का किसी तरह का उल्लंघन न होने पाएं।**

भवदीय,

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

संख्या 4189 **/ समदिनांक।**

1. **प्रतिलिपिः–** मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी क्षेत्र उ0प्र0, प्रयागराज/मंडलीय मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर क्षेत्र, मिर्जापुर।
2. **प्रतिलिपिः–** मंडलायुक्त प्रयागराज एवं मिर्जापुर।
3. **प्रतिलिपिः–** वन संरक्षक, प्रयागराज वृत्त, प्रयागराज।
4. **प्रतिलिपिः–** प्रभागीय वनाधिकारी, भदोही एवं मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित की अपने जनपद अन्तर्गत गंगा नदी एवं आस–पास के क्षेत्र में वन्य–जीव विहार एवं इसके 10 किमी ईको सेन्सिटिव जोन के प्रविधानों का ध्यान में रखें एवं किसी तरह का उल्लंघन न हो तथा पुराना कोई नदी में बालू खनन पट्टे प्रचलित हों तो उपरोक्तानुसार सम्बन्धित अधिकारियों को ध्यानाकर्षित कर विधिक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
5. **प्रतिलिपिः–** जिला खनन अधिकारी, प्रयागराज, मिर्जापुर एवं भदोही को इस आशय से प्रेषित कि जनपद के अन्तर्गत गंगा नदी एवं आस–पास के क्षेत्र में बालू खनन पट्टा देने से पूर्व कछुआ वन्य जीव विहार एवं 10 किमी का ईको सेन्सिटिव जोन के प्रविधानों का ध्यान में रखें जिससे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का किसी तरह का उल्लंघन न हो।
6. **प्रतिलिपिः–** क्षेत्रीय वन अधिकारी, मेजा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कछुआ वन्य जीव विहार की सीमा तथा सीमा से 10 किमी0 की परिधि में (ईको सेन्सिटिव जोन) में बालू के खनन/परिवहन व अन्य अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

NOTARY R.C. OJHA Advocate Notary H.C. Alld Reg No 20120/2081 Exp Date 2-2-2026

अतिआवश्यक / महत्वपूर्ण 33

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

पत्रांक– 4472 / 15–1 दिनांक, प्रयागराज, जून, 20, 2024।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रयागराज, मिर्जापुर एवं भदोही।

विषयः– **जनपद–प्रयागराज, भदोही एवं मिर्जापुर अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30 किमी तक फैले क्षेत्र जिसे उ0प्र0 शासन की अधिसूचना सं0–346 / 81–4–2020–823 / 2008 टी0सी0, दिनांक 17.03.2020 द्वारा कछुआ वन्य जीव विहार घोषित किया गया है में बालू खनन, पट्टाधारकों द्वारा बालू खनन प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4 का पत्रांक–502 / 81–4–2020, दिनांक 23.06.2020 एवं इस कार्यालय का पत्रांक–2018 / 15–1, दिनांक–14.12.2023, पत्रांक–4189 / 15–1, दिनांक–16.05.2024 तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली का आदेश दिनांक–18.04.2024

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली का आदेश दिनांक–18.04.2024 का संज्ञान लेने का कष्ट करें। जैसा कि आप अवगत है कि उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4 संख्या–346 / 81–4–2020–823 / 2008 टी0सी0 लखनऊ, दिनांक 17.03.2020 द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम– 1927 की धारा–18 की उपधारा (1) के अधीन श्री राज्य पाल महोदय द्वारा जनपद–भदोही, प्रयागराज एवं मिर्जापुर के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30 किमी0 लम्बाई में फैले क्षेत्र को कछुआ वन्य जीव विहार के रूप में स्थापित करने का घोषणा की गयी है।

अनुसूची

जिला	नदी का नाम	कछुआ वन्यजीव विहार का क्षेत्र
1	2	3
प्रयागराज, भदोही और मिर्जापुर	गंगा	गंगा नदी के दोनों तटों से सीमाबद्ध गंगा नदी के मुख्य धारा का 30 किमी0 लम्बाई में फैला क्षेत्र
सीमाएं	पूरब (नदी का अधोः प्रवाह)	ग्राम–बारीपुर उपरहार, ज्ञानपुर, जिला–भदोही की राजस्व सीमा में:– अक्षांश– 25.273769 देशान्तर– 82.287486
	पश्चिम (नदी का उर्ध्व प्रवाह)	ग्राम–कोठरी, मेजा, जिला–प्रयागराज की राजस्व सीमा में:– अक्षांश– 25.215000 देशान्तर– 82.194814
	उत्तर	गंगा नदी का उत्तरी तट
	दक्षिण	गंगा नदी का दक्षिणी तट

उपरोक्त कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30 किमी0 लम्बाई में जनपद–प्रयागराज के तहसील–मेजा, जनपद–भदोही के तहसील–ज्ञानपुर व जनपद–मिर्जापुर के तहसील–सदर अन्तर्गत स्थित विभिन्न ग्रामों की सीमायें गंगा नदी की सीमा से मिलती है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

जनपद प्रयागराज– इस जनपद के तहसील–मेजा के विभिन्न ग्रामों–कोठरी, अछोला, चौकठा नरवर, चौकठा उपरहार, कुशमा उपरहार, बभनी हेठार, बेरूका, उमापुर, डेगुरपुर, महेवाखुर्द, महेवाकला, बादपुर कछार, बादपुर उपरहार, बामपुर कछार एवं बामपुर उपरहार की सीमायें गंगा नदी की सीमा से मिलती है।

जनपद मिर्जापुर– इस जनपद के तहसील–सदर के विभिन्न ग्रामों–मिश्रपुर, नगवासी, बसेवरा कला, खैरा, गोगॉव, बेहरा, देवारी मुगौरा, कासी सरपाती, भौरूपुर सतलपत्ती, बसेवरा खुर्द, बजता, अर्जीखेरा, चकचेहरा एवं चककौन की सीमायें गंगा नदी की सीमा से मिलती है।

जनपद भदोही– इस जनपद के तहसील–ज्ञानपुर के विभिन्न ग्रामों–महुएरी उपरवार, बकत उपरवार एन बारीपुर, बारीपुरू उपरवार, भूरी उपरवार, चकिया उपरवार, छेछुआ उपरवार, हरिरामपुर उपरवार, पुरेदुखा, इतहरा उपरवार, कलिक मवैया उपरवार, कुण्डीकला उपरवार, कुण्डी खुर्द उपरवार, लखनपुर भदरौ उपरवार, मरहाच उपरवार, मवैयावारा गोती उपरवार, मवैयत वसिंग उपरवार, नारेपर उपरवार, शेरपुर उपरवार, तरही उपरवार, तुलसी कला उपरवार, छेछुतारी, बनकरतारी एवं बारीपुर, भभौरी तारी, भुरौतारी, इतहरा तारी, कलिक मवैया तारी, कुण्डी कला तारी, कुण्डी खुर्द तारी, लखनपुर भदरौ तारी, मवैया थान सिंह तारी, सेमरा तारी एवं हरिरामपुर तारी की सीमायें गंगा नदी की सीमा से मिलती है।

GOVT. OF U.

उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशानुसार वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम–1972 की धारा–18–बी के तहत जिलाधिकारी, प्रयागराज, मिर्जापुर तथा भदोही को सम्बन्धित जनपद के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्र हेतु कलेक्टर उक्त वन्य जीव विहार को प्रभागीय वनाधिकारी, प्रयागराज के नियंत्रणाधीन रखने पर श्री राज्यपाल महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका सं0–202/1995 (रिट पिटीशन सिविल) टी0एन0 गोडावर्मन थिरूमलकपाद बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक–03.06.2022 के बिन्दु सं0–44 (सी) में दिनांक–09.02.2011 के गाइडलाइन्स के सम्यक अनुपालन एवं उक्त आदेश दिनांक 03.06.2022 के बिन्दु सं0 44 (डी) में नेशनल पार्क व वन्य जीव सेन्चुरी में खनन कार्य को प्रतिबन्धित किया गया है। साथ ही उक्त आदेश के क्रम में वन्य जीव विहार, प्रयागराज की सीमा से बाहर कम से कम 1 किमी की दूरी तक के क्षेत्र को ईको सेन्सिटिव जोन बनाया जाना है जो प्रक्रिया में है। **मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ईको सेन्सिटिव जोन का निर्धारण न होने की दशा में 10 किमी की परिधि को ईको सेन्सिटिव जोन माना जायेगा।**

अतः उपरोक्त तथ्यों के क्रम में आपसे पुनः अनुरोध है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश व मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली का आदेश दिनांक–18.04.2024 तथा सन्दर्भित शासनादेश के क्रम में उक्त वन्य जीव विहार में कछुओं व अन्य जलीय जीवों के संरक्षण हेतु गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30 किमी लम्बाई में फैले क्षेत्र में व इसकी सीमा से बाहर कम से कम 10 किमी तक (ईको सेन्सिटिव जोन) में **बालू खनन की संक्रिया पर रोक लगाया जाये तथा बालू खनन हेतु कोई नवीन खनन पट्टा स्वीकृत न किया जाये तथा पूर्व स्वीकृत बालू खनन पट्टों को तत्काल निरस्त करने की कार्यवाही करते हुए इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि नव स्थापित कछुआ वन्य जीव विहार में वन्य जीव अधिनियम के प्रावधानों एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेशों का किसी तरह का उल्लंघन न होने पाएं।**

भवदीय,

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

संख्या 4472 **/ समदिनांक।**

1. **प्रतिलिपिः–** मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी क्षेत्र उ0प्र0, प्रयागराज/मंडलीय मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर क्षेत्र, मिर्जापुर।
2. **प्रतिलिपिः–** मंडलायुक्त प्रयागराज एवं मिर्जापुर।
3. **प्रतिलिपिः–** वन संरक्षक, प्रयागराज वृत्त, प्रयागराज।
4. **प्रतिलिपिः–** प्रभागीय वनाधिकारी, भदोही एवं मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित की अपने जनपद अन्तर्गत गंगा नदी एवं आस–पास के क्षेत्र में वन्य–जीव विहार एवं इसके 10 किमी ईको सेन्सिटिव जोन के प्रविधानों का ध्यान में रखें एवं किसी तरह का उल्लंघन न हो तथा पुराना कोई नदी में बालू खनन पट्टे प्रचलित हों तो उपरोक्तानुसार सम्बन्धित अधिकारियों को ध्यानाकर्षित कर विधिक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
5. **प्रतिलिपिः–** जिला खनन अधिकारी, प्रयागराज, मिर्जापुर एवं भदोही को इस आशय से प्रेषित कि जनपद के अन्तर्गत गंगा नदी एवं आस–पास के क्षेत्र में बालू खनन पट्टा देने से पूर्व कछुआ वन्य जीव विहार एवं 10 किमी का ईको सेन्सिटिव जोन के प्रविधानों का ध्यान में रखें जिससे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का किसी तरह का उल्लंघन न हो।
6. **प्रतिलिपिः–** क्षेत्रीय वन अधिकारी, मेजा एवं हण्डिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कछुआ वन्य जीव विहार की सीमा तथा सीमा से 10 किमी0 की परिधि में (ईको सेन्सिटिव जोन) में बालू के खनन/परिवहन व अन्य अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

890 Registered

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

29

पत्रांक– 4490/15–1 दिनांक, प्रयागराज, जून, 21, 2024।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मिर्जापुर।

विषयः– **जनपद–मिर्जापुर अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30 किमी तक फैले क्षेत्र जिसे उ0प्र0 शासन की अधिसूचना सं0–346/81–4–2020–823/2008 टी0सी0, दिनांक–17.03.2020 द्वारा कछुआ वन्य जीव विहार घोषित किया गया है, में स्थिति स्पष्ट किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–8251/खनिज/एम0एम0सी0–30/2024, दिनांक–28.02.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा कछुआ वन्य जीव विहार क्षेत्र में साधारण बालू के खनन पट्टाधारकों के सम्बन्ध स्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा की गयी है जो निम्न प्रकार है–

1. उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4 के असाधारण गजट सं0–346/81–4–2020–823/2008 टी0सी0, लखनऊ, दिनांक–17.03.2020 द्वारा कछुआ वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम–1972 की धारा–18 की उपधारा (1) के अधीन मा0 राज्यपाल महोदय द्वारा जनपद–भदोही, प्रयागराज एवं मिर्जापुर के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30 किमी लम्बाई में फैले क्षेत्र को कछुआ वन्य जीव विहार के रूप में स्थापित करने की घोषणा की गई है।

2. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम–1972 की धारा–18 के अधीन वन्य जीव विहार की अधिसूचना जारी होने के पश्चात ही क्षेत्र विशेष में पाये जाने वाले वन्य जीवों के संरक्षण, संवर्द्धन एवं विकास के प्रयोजन से ऐसे क्षेत्रों में खनन सहित अवैध गतिविधियों पर प्रतिबन्ध स्वतः लागू हो जाते हैं। वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम–1972 यथासंशोधित के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 NGT द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में सक्षम स्तर से पूर्वानुमति के बिना सेंचुरी क्षेत्र में खनन, व्यवसायिक गतिविधियों आदि को अनुमति प्रदान किया जाना संभव नहीं है।

3. मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका सं0–202/1995 (रिट पिटीशन सिविल) टी0एन0 गोडावर्मन थिरूमलकपाद बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक–03.06.2022 के बिन्दु सं0–44 (सी) में दिनांक–09.02.2011 के गाइडलाइन्स के सम्यक अनुपालन एवं उक्त आदेश दिनांक– 03.06.2022 के बिन्दु सं0 44 (डी) में नेशनल पार्क व वन्य जीव सेन्चुरी में खनन कार्य को प्रतिबन्धित किया गया है।

4. उपरोक्त के क्रम में वन्य जीव विहार, प्रयागराज की सीमा से बाहर ईको सेन्सिटिव जोन (ESZ) के निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रिया में है। **मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ईको सेन्सिटिव जोन का निर्धारण न होने तक 10 किमी की परिधि को ईको सेन्सिटिव जोन माना गया है।**

अतः इस कार्यालय के पत्र दिनांक–07.02.2024 के क्रम में आप के सन्दर्भित पत्र द्वारा चाही गयी स्थिति उपरोक्तानुसार स्पष्ट की जाती है।

भवदीय,

NOTARY R.C. OJHA Advocate Notary H.C. All. Reg No. 20[illegible] Exp. [illegible]-2026 GOVT. OF U.P.

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

30

कार्यालय जिलाधिकारी, प्रयागराज।

पत्रांक– 4484/15-1 दिनांक, प्रयागराज, जून 20, 2024।

सेवा में,

1– समस्त उप जिलाधिकारी, प्रयागराज।
2– जिला खनन अधिकारी, प्रयागराज।

विषयः– **जनपद–प्रयागराज, भदोही एवं मिर्जापुर अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30 किमी तक फैले क्षेत्र जिसे उ0प्र0 शासन की अधिसूचना सं0–346/81–4–2020–823/2008 टी0सी0, दिनांक –17.03.2020 द्वारा कछुआ वन्य जीव विहार घोषित किया गया है में बालू खनन, पट्टाधारकों द्वारा बालू खनन प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4 संख्या–346/81–4–2020–823/2008 टी0सी0 लखनऊ, दिनांक 17.03.2020 एवं उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4 का पत्रांक–502/81–4–2020, दिनांक–23.06.2020

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4 संख्या–346/81–4–2020–823/2008 टी0सी0 लखनऊ, दिनांक 17.03.2020 द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम– 1927 की धारा–18 की उपधारा (1) के अधीन श्री राज्य पाल महोदय द्वारा जनपद–भदोही, प्रयागराज एवं मिर्जापुर के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30 किमी0 लम्बाई में फैले क्षेत्र को कछुआ वन्य जीव विहार के रूप में स्थापित करने का घोषणा की गयी है।

<u>अनुसूची</u>

जिला	नदी का नाम	कछुआ वन्यजीव विहार का क्षेत्र
1	2	3
प्रयागराज, भदोही और मिर्जापुर	गंगा	गंगा नदी के दोनों तटों से सीमाबद्ध गंगा नदी के मुख्य धारा का 30 किमी0 लम्बाई में फैला क्षेत्र
सीमाएं	पूरब (नदी का अधोः प्रवाह)	ग्राम–बारीपुर उपरहार, ज्ञानपुर, जिला–भदोही की राजस्व सीमा में:– अक्षांश– 25.273769 देशान्तर– 82.287486
	पश्चिम (नदी का उर्ध्व प्रवाह)	ग्राम–कोठरी, मेजा, जिला–प्रयागराज की राजस्व सीमा में:– अक्षांश– 25.215000 देशान्तर– 82.194814
	उत्तर	गंगा नदी का उत्तरी तट
	दक्षिण	गंगा नदी का दक्षिणी तट

उपरोक्त कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30 किमी0 लम्बाई में जनपद–प्रयागराज के तहसील–मेजा के विभिन्न ग्रामों–कोठरी, अछोला, चौकठा नरवर, चौकठा उपरहार, कुशमा उपरहार, बभनी हेठार, बेरूका, उमापुर, डेगुरपुर, महेवाखुर्द, महेवाकला, बादपुर कछार, बादपुर उपरहार, बामपुर कछार एवं बामपुर उपरहार की सीमायें गंगा नदी की सीमा से मिलती है।

उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4 का पत्रांक–502/81–4–2020, दिनांक–23.06.2020 द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम–1972 की धारा–18–बी के तहत जिलाधिकारी, प्रयागराज जनपद के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्र हेतु कलेक्टर एवं उक्त वन्य जीव विहार को प्रभागीय वनाधिकारी, प्रयागराज के नियंत्रणाधीन रखने पर श्री राज्यपाल महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका सं0–202/1995 (रिट पिटीशन सिविल) टी0एन0 गोडावर्मन थिरूमलकपाद बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक–03.06.2022 के बिन्दु

सं0–44 (सी) में दिनांक–09.02.2011 के गाइडलाइन्स के सम्यक अनुपालन एवं उक्त आदेश दिनांक 03.06.2022 के बिन्दु सं0 44 (डी) में नेशनल पार्क व वन्य जीव सेन्चुरी में खनन कार्य को प्रतिबन्धित किया गया है। उक्त आदेश के क्रम में वन्य जीव विहार, प्रयागराज की सीमा से बाहर ईको सेन्सिटिव जोन (ESZ) के निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रिया में है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ईको सेन्सिटिव जोन का निर्धारण न होने तक 10 किमी की परिधि को ईको सेन्सिटिव जोन माना गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आपको निर्देशित किया जाता है कि कछुआ वन्य जीव विहार में कछुओं व अन्य जलीय जीवों के संरक्षण हेतु गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध जनपद–प्रयागराज की सीमा में स्थित कछुआ वन्यजीव विहार क्षेत्र व इसकी सीमा से बाहर कम से कम 10 किमी तक (ईको सेन्सिटिव जोन) में बालू खनन/खनन/अन्य अवैध गतिविधियाँ (यथा शिकार आदि) की संक्रिया पर रोक लगाते हुए खनन पाये जाने की दशा में खनन कर्ताओं के विरूद्ध कठोर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा बालू खनन हेतु कोई नवीन खनन पट्टा स्वीकृत न किया जाये और पूर्व स्वीकृत बालू खनन पट्टों को तत्काल निरस्त करने की कार्यवाही करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि नव स्थापित कछुआ वन्य जीव विहार में वन्य जीव अधिनियम के प्रावधानों एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेशों का किसी तरह का उल्लंघन न होने पाये।

(नवनीत सिंह चहल)
जिलाधिकारी,
प्रयागराज।

पत्रांक 4484/ दिनांकित।
प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी, प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(नवनीत सिंह चहल)
जिलाधिकारी,
प्रयागराज।

NOTARY
R.C. OJHA
Advocate Notary
H.C. Alld
Reg.No. 20(20)2011
Exp Date
3-2-2026
GOVT. OF U.P.

70

अतिआवश्यक / महत्वपूर्ण

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

पत्रांक– 592 /15–1 दिनांक, प्रयागराज, अगस्त, 27, 2024।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रयागराज एवं भदोही।

विषयः– **जनपद–प्रयागराज, भदोही एवं मिर्जापुर अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30 किमी तक फैले क्षेत्र जिसे उ0प्र0 शासन की अधिसूचना सं0–346/81–4–2020–823/2008 टी0सी0, दिनांक 17.03.2020 द्वारा कछुआ वन्य जीव विहार घोषित किया गया है में बालू खनन, पट्टाधारकों द्वारा बालू खनन को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4 का पत्रांक–502/81–4–2020, दिनांक–23.06.2020 एवं इस कार्यालय का पत्रांक–2018/15–1, दिनांक–14.12.2023, पत्रांक–4189/15–1, दिनांक–16.05.2024 तथा पत्रांक–4472/15–1, दिनांक–20.06.2024

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली का आदेश दिनांक–23.07.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** का संज्ञान लेने का कष्ट करें। जैसा कि आप अवगत है कि उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4 संख्या–346/81–4–2020–823/2008 टी0सी0 लखनऊ, दिनांक 17.03.2020 द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम– 1927 की धारा–18 की उपधारा (1) के अधीन श्री राज्य पाल महोदय द्वारा जनपद–भदोही, प्रयागराज एवं मिर्जापुर के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30 किमी0 लम्बाई में फैले क्षेत्र को कछुआ वन्य जीव विहार के रूप में स्थापित करने का घोषणा की गयी है।

अनुसूची

जिला	नदी का नाम	कछुआ वन्यजीव विहार का क्षेत्र
1	2	3
प्रयागराज, भदोही और मिर्जापुर	गंगा	गंगा नदी के दोनों तटों से सीमाबद्ध गंगा नदी के मुख्य धारा का 30 किमी0 लम्बाई में फैला क्षेत्र
सीमाएं	पूरब (नदी का अधोः प्रवाह)	ग्राम–बारीपुर उपरहार, ज्ञानपुर, जिला–भदोही की राजस्व सीमा में:– अक्षांश– 25.273769 देशान्तर– 82.287486
	पश्चिम (नदी का उर्ध्व प्रवाह)	ग्राम–कोठरी, मेजा, जिला–प्रयागराज की राजस्व सीमा में:– अक्षांश– 25.215000 देशान्तर– 82.194814
	उत्तर	गंगा नदी का उत्तरी तट
	दक्षिण	गंगा नदी का दक्षिणी तट

उपरोक्त कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30 किमी0 लम्बाई में जनपद–प्रयागराज के तहसील–मेजा, जनपद–भदोही के तहसील–ज्ञानपुर के अन्तर्गत स्थित विभिन्न ग्रामों की सीमायें गंगा नदी की सीमा से मिलती है, जिसका विवरण निम्नवत है–

<u>जनपद प्रयागराज–</u> इस जनपद के तहसील–मेजा के विभिन्न ग्रामों–कोठरी, अछोला, चौकठा नरवर, चौकठा उपरहार, कुशमा उपरहार, बभनी हेठार, बेरूका, उमापुर, डेगुरपुर, महेवाखुर्द, महेवाकला, बादपुर कछार, बादपुर उपरहार, बामपुर कछार एवं बामपुर उपरहार की सीमायें गंगा नदी की सीमा से मिलती है।

<u>जनपद भदोही–</u> इस जनपद के तहसील–ज्ञानपुर के विभिन्न ग्रामों–बहुपुरा उपरवार, बकत उपरवार एन बारीपुर, बारीपुरू उपरवार, भूरी उपरवार, चकिया उपरवार, छेछुआ उपरवार, हरिरामपुर उपरवार, पुरेदुखा, इतहरा उपरवार, कलिक मवैया उपरवार, कुण्डीकला उपरवार, कुण्डी खुर्द उपरवार, लखनपुर भदरान उपरवार, मरहाच उपरवार, मवैयावारा गोती उपरवार, मवैयत वरिंग उपरवार, नारेपर उपरवार, शेरपुर उपरवार, तरही उपरवार, तुलसी कला उपरवार, छेछुतारी, बनकरतारी एवं बारीपुर, भभौरी तारी, भुरौतारी, इतहरा तारी, कलिक मवैया तारी, कुण्डी कला तारी, कुण्डी खुर्द तारी, लखनपुर भदरौ तारी, मवैया थान सिंह तारी, [illegible] तारी एवं हरिरामपुर तारी की सीमायें गंगा नदी की सीमा से मिलती है।

NOTARY
R.C. OJHA
Advocate Notary
H.Q. Alld.
Reg.No. 20(20)2001
Exp. Date
2-2-2026
GOVT. OF U.P.

उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशानुसार वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम–1972 की धारा–18–बी के तहत जिलाधिकारी, प्रयागराज, मिर्जापुर तथा भदोही को सम्बन्धित जनपद के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्र हेतु कलेक्टर एवं उक्त वन्य जीव विहार को प्रभागीय वनाधिकारी, प्रयागराज के नियंत्रणाधीन रखने पर श्री राज्यपाल महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका सं0–202/1995 (रिट पिटीशन सिविल) टी0एन0 गोडावर्मन थिरूमलकपाद बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक–03.06.2022 के बिन्दु सं0–44 (सी) में दिनांक–09.02.2011 के गाइडलाइन्स के सम्यक अनुपालन एवं उक्त आदेश दिनांक 03.06.2022 के बिन्दु सं0 44 (डी) में नेशनल पार्क व वन्य जीव सेन्चुरी में खनन कार्य को प्रतिबन्धित किया गया है। साथ ही उक्त आदेश के क्रम में वन्य जीव विहार, प्रयागराज की सीमा से बाहर कम से कम 1 किमी की दूरी तक के क्षेत्र को ईको सेन्सिटिव जोन बनाया जाना है जो प्रक्रिया में है। **मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ईको सेन्सिटिव जोन का निर्धारण न होने की दशा में 10 किमी की परिधि को ईको सेन्सिटिव जोन माना जायेगा।**

उल्लेखनीय है कि इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्रों द्वारा मा० सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश तथा सन्दर्भित शासनादेश के क्रम में उक्त वन्य जीव विहार में कछुओं व अन्य जलीय जीवों के संरक्षण हेतु गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30 किमी लम्बाई में फैले क्षेत्र में व इसकी सीमा से बाहर कम से कम 10 किमी तक (ईको सेन्सिटिव जोन) में **बालू खनन की संक्रिया पर रोक लगाये जाने, बालू खनन हेतु कोई नवीन खनन पट्टा स्वीकृत न करने तथा पूर्व स्वीकृत बालू खनन पट्टों को तत्काल निरस्त करने का अनुरोध किया गया था, परन्तु अद्यतन तक कृत कार्यवाही की कोई सूचना/जानकारी इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है।**

अतः उपरोक्त तथ्यों के अलोक में आपसे पुनः अनुरोध है कि मा० सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश व मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली का आदेश दिनांक–23.07.2024 तथा सन्दर्भित शासनादेश के क्रम में उक्त वन्य जीव विहार में कछुओं व अन्य जलीय जीवों के संरक्षण हेतु गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30 किमी लम्बाई में फैले क्षेत्र में व इसकी सीमा से बाहर कम से कम 10 किमी तक (ईको सेन्सिटिव जोन) में **बालू खनन की संक्रिया पर रोक लगाया जाये तथा बालू खनन हेतु कोई नवीन खनन पट्टा स्वीकृत न किया जाये तथा पूर्व स्वीकृत बालू खनन पट्टों को तत्काल निरस्त करने हेतु सम्बन्धित विभाग/अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि नव स्थापित कछुआ वन्य जीव विहार में वन्य जीव अधिनियम के प्रावधानों एवं मा० सर्वोच्च न्यायालय व मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेशों का किसी तरह का उल्लंघन न होने पाएं।**

भवदीय,

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

संख्या 592 **/ समदिनांक।**

1. **प्रतिलिपिः–** मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी क्षेत्र उ0प्र0, प्रयागराज/मंडलीय मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर क्षेत्र, मिर्जापुर।
2. **प्रतिलिपिः–** मंडलायुक्त प्रयागराज एवं मिर्जापुर।
3. **प्रतिलिपिः–** वन संरक्षक, प्रयागराज वृत्त, प्रयागराज।
4. **प्रतिलिपिः–** प्रभागीय वनाधिकारी, भदोही को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित की अपने जनपद अन्तर्गत गंगा नदी एवं आस–पास के क्षेत्र में वन्य–जीव विहार एवं इसके 10 किमी ईको सेन्सिटिव जोन के प्रविधानों का ध्यान में रखें एवं किसी तरह का उल्लंघन न हो तथा पुराना कोई नदी में बालू खनन पट्टे प्रचलित हों तो उपरोक्तानुसार सम्बन्धित अधिकारियों को ध्यानाकर्षित कर विधिक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
5. **प्रतिलिपिः–** जिला खनन अधिकारी, प्रयागराज, एवं भदोही को इस आशय से प्रेषित कि जनपद के अन्तर्गत गंगा नदी एवं आस–पास के क्षेत्र में बालू खनन पट्टा देने से पूर्व कछुआ वन्य जीव विहार एवं 10 किमी का ईको सेन्सिटिव जोन के प्रविधानों का ध्यान में रखें जिससे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों एवं मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का किसी तरह का उल्लंघन न हो।

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

NOTARY R.C. OJHA Advocate Notary High Court Allahabad GOVT OF U.P.

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

पत्रांक-- 2256 /15-1 दिनांक, प्रयागराज, 24 जनवरी, 2025।

सेवा में,

1- जिलाधिकारी,
प्रयागराज।

2- जिलाधिकारी,
मिर्जापुर।

3- जिलाधिकारी,
भदोही।

विषयः- जनपद-प्रयागराज, भदोही एवं मिर्जापुर अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आवद्ध 30 किमी तक फैले क्षेत्र जिसे उ0प्र0 शासन की अधिसूचना सं0-346/81-4-2020-823/2008 टी0सी0, दिनांक 17.03.2020 द्वारा कछुआ वन्य जीव विहार स्थापित करने की घोषणा की गयी है में बालू खनन तथा पट्टाधारकों द्वारा बालू खनन व अभिवहन को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः- उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 का पत्रांक-502/81-4-2020, दिनांक-23.06.2020 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-2018/15-1, दिनांक-14.12.2023, पत्रांक-4189/15-1, दिनांक-16.05.2024 तथा पत्रांक-4472/15-1, दिनांक-20.06.2024

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का संज्ञान लेने का कष्ट करें। जैसा कि आप अवगत है कि उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 संख्या-346/81-4-2020-823/2008 टी0सी0 लखनऊ, दिनांक 17.03.2020 द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम- 1972 की धारा-18 की उपधारा (1) के अधीन श्री राज्य पाल महोदय द्वारा जनपद-भदोही, प्रयागराज एवं मिर्जापुर के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आवद्ध 30 किमी0 लम्बाई में फैले क्षेत्र को कछुआ वन्य जीव विहार के रूप में स्थापित करने का घोषणा की गयी है।

अनुसूची

जिला	नदी का नाम	कछुआ वन्यजीव विहार का क्षेत्र
1	2	3
प्रयागराज, भदोही और मिर्जापुर	गंगा	गंगा नदी के दोनों तटों से सीमाबद्ध गंगा नदी के मुख्य धारा का 30 किमी0 लम्बाई में फैला क्षेत्र
सीमाएं	पूरब (नदी का अधोः प्रवाह)	ग्राम-बारीपुर उपरहार, ज्ञानपुर, जिला-भदोही की राजस्व सीमा में:- अक्षांश- 25.273769 देशान्तर- 82.287486
	पश्चिम (नदी का उर्ध्व प्रवाह)	ग्राम-कोठरी, मेजा, जिला-प्रयागराज की राजस्व सीमा में:- अक्षांश- 25.215000 देशान्तर- 82.194814
	उत्तर	गंगा नदी का उत्तरी तट
	दक्षिण	गंगा नदी का दक्षिणी तट

उपरोक्त कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आवद्ध 30 किमी0 लम्बाई में जनपद-प्रयागराज के तहसील-मेजा, जनपद-भदोही के तहसील-ज्ञानपुर तथा जनपद-मिर्जापुर के तहसील-सदर अन्तर्गत स्थित विभिन्न ग्रामों की सीमायें गंगा नदी की सीमा से मिलती है, जिसका विवरण निम्नवत है-

<u>जनपद प्रयागराज-</u> इस जनपद के तहसील-मेजा के विभिन्न ग्रामों-कोठरी, अछोला, चौकठा नरवर, चौकठा उपरहार, कुशगा उपरहार, बगनी हेटार, बेरूका, उमापुर, डेगुरपुर, महेवाखुर्द, महेवाकला, बादपुर कछार, बादपुर उपरहार, बामपुर कछार एवं बामपुर उपरहार की सीमायें गंगा नदी की सीमा से मिलती है।

<u>जनपद मिर्जापुर-</u> इस जनपद के तहसील-सदर के विभिन्न ग्रामों-मिश्रपुर, नगवासी, बरोवरा कला, खैरा, गोगॉव, बेहरा, देवारी मुगौरा, कासी सरपाती, भौरूपुर सातलपत्ती, बरोवरा खुर्द, बजता, अर्जीखेरा, चकचोहरा एवं चककौन की सीमायें गंगा नदी की सीमा से मिलती है।

<u>जनपद भदोही-</u> इस जनपद के तहसील-ज्ञानपुर के विभिन्न ग्रामों-बहपुरा उपरवार, बकता उपरवार एन बारीपुर, बारीपुरू उपरवार, भूरी उपरवार, चकिया उपरवार, छेछुआ उपरवार, हरिरामपुर उपरवार, पुरेदुखा, इतहरा उपरवार, कलिक मवैया उपरवार, कुण्डीकला उपरवार, कुण्डी खुर्द उपरवार, लखनपुर, भदरानी उपरवार, गरहाच उपरवार, मवैयावारा गोती उपरवार, मवैयत बरिंग उपरवार, नारेपार उपरवार, अमपुर उपरवार, तेही उपरवार, तुलसी कला उपरवार, छेछुतारी, बनकरतारी एवं बारीपुर, भभौरी तारी, भुरौ... तारी, कलिक मवैया तारी, कुण्डी कला तारी, कुण्डी खुर्द तारी, लखनपुर भदरौ तारी, मवैया थारी ... तारी ... तारी एवं हरिरामपुर तारी की सीमायें गंगा नदी की सीमा से मिलती है।

उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशानुसार वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम–1972 की धारा–18–बी के तहत जिलाधिकारी, प्रयागराज, मिर्जापुर तथा भदोही को सम्बन्धित जनपद के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्र हेतु कलेक्टर एवं उक्त वन्य जीव विहार को प्रभागीय वनाधिकारी, प्रयागराज के नियंत्रणाधीन रखने पर श्री राज्यपाल महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका सं0–202/1995 (रिट पिटीशन सिविल) टी0एन0 गोडावर्मन थिरूमलकपाद बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक–03.06.2022 के बिन्दु सं0–44 (सी) में दिनांक–09.02.2011 के गाइडलाइन्स के सम्यक अनुपालन एवं उक्त आदेश दिनांक 03.06.2022 के बिन्दु सं0 44 (डी) में नेशनल पार्क व वन्य जीव सेन्चुरी में खनन कार्य को प्रतिबन्धित किया गया है। साथ ही उक्त आदेश के क्रम में कछुआ वन्यजीव विहार, प्रयागराज की सीमा से लगे हुए क्षेत्र तथा ईको सेन्सिटिव जोन के चिन्हांकन एंव निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ईको सेन्सिटिव जोन का निर्धारण न होने की दशा में 10 किमी की परिधि को ईको सेन्सिटिव जोन माना गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के अलोक में अनुरोध है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश तथा सन्दर्भित शासनादेश के क्रम में उक्त कछुआ वन्यजीव विहार में कछुओं व अन्य जलीय जीवों के संरक्षण हेतु गंगा नदी के दोनों तटों से आवद्ध 30 किमी के क्षेत्र की लम्बाई में से जनपद–प्रयागराज, मिर्जापुर एवं भदोही में पड़ने वाला क्षेत्र जो आपके नियंत्रणाधीन है के नदी क्षेत्र की सीमा तथा ईको सेन्सिटिव जोन (ESZ) की सीमा (10 किमी0) के परिधि के अन्दर बालू खनन, निकासी व अभिवहन को प्रतिबन्धित करने हेतु सम्बन्धित विभाग/अधिकारी/प्रर्वतन दल को निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि नव स्थापित होने वाले कछुआ वन्यजीव विहार में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 में निहित प्रावधानों तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का किसी तरह का उल्लंघन न होने पाये।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

संख्या 2256 / समदिनांक।

1. प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी, भदोही एवं मिर्जापुर को इस आशय से प्रेषित की अपने क्षेत्र के अन्तर्गत कछुआ वन्यजीव विहार के गंगा नदी के क्षेत्र की सीमा तथा ईको सेन्सिटिव जोन (ESZ) की सीमा (10 किमी0) के परिधि के अन्दर बालू खनन, निकासी व अभिवहन की घटना को प्रतिबन्धित करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों का ध्यानाकर्षण करते हुए विधिक कार्यवाही कराने का कष्ट करें, ताकि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 मे निहित प्रावधानों तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन न होने पायें।
2. प्रतिलिपिः– जिला खनन अधिकारी, प्रयागराज, मिर्जापुर एवं भदोही को इस आशय से प्रेषित कि कछुआ वन्यजीव विहार के गंगा नदी के क्षेत्र की सीमा तथा ईको सेन्सिटिव जोन (ESZ) की सीमा (10 किमी0) के परिधि के अन्दर बालू खनन, निकासी व अभिवहन की घटना को रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें, ताकि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 मे निहित प्रावधानों तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन न होने पायें।

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

NOTARY
R.C.
Reg No.
Exp. Date
2-2-2026
GOVT. OF

49

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर

(खनिज अनुभाग)

पत्र सं0 1486 / एम0एम0सी0 30 / खनिज / 2023-24 दिनांक 6 / 01 / 2024

आदेश

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज के पत्रांक सं0 2018/15-1 दिनांक 14.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 संख्या 346/81-4-2020-823/2008 टी0सी0 लखनऊ दिनांक 17.03.2020 द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1927 की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन श्री राज्यपाल महोदय द्वारा जनपद भदोही, प्रयागराज एवं मीरजापुर के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30 कि0मी0 लम्बाई में फैले क्षेत्र को कछुआ वन्य जीव विहार के रूप में स्थापित करने की घोषणा की गयी है।

अनुसूची

जिला	नदी का नाम	कछुआ वन्यजीव विहार का क्षेत्र
प्रयागराज, भदोही और मीरजापुर	गंगा	गंगा नदी के दोनों तटों से सीमा बद्ध गंगा नदी के मुख्य भाग का 30 किलोमीटर लम्बाई में फैला क्षेत्र
सीमाएं	पूरब (नदी का अधो: प्रवाह)	ग्राम नारीपुर उपरहार, ज्ञानपुर, जिला भदोही की राजस्व सीमा से अक्षांश 25.273769 देशान्तर 82.287485
	पश्चिम (नदी का उर्ध्व प्रवाह)	ग्राम कोठरी, मेजा, जिला प्रयागराज की राजस्व सीमा से अक्षांश 25.219996 देशान्तर 82.164614
	उत्तर	गंगा नदी का उत्तरी तट
	दक्षिण	गंगा नदी का दक्षिणी तट

उपरोक्त कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30 कि0मी0 लम्बाई में जनपद–मीरजापुर के तहसील सदर अन्तर्गत स्थित विभिन्न ग्रामों यथा मिश्रपुर, नगवासी, बसेवरा कलां, खैरा, गोगांव, देहरा, देवारी मुगौरा, कारी सरपाती, भौरूपुर सतलपत्ती, बसेवरा खुर्द, बजता, अर्जीखेरा, चकदेहरा एवं चककौन की सीमायें गंगा नदी की सीमा से मिलती है।

उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशानुसार वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा–18 बी के तहत जनपद के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्र हेतु कलेक्टर एवं उक्त वन्य जीव विहार को प्रभागीय वनाधिकारी, प्रयागराज के नियंत्रणाधीन रखने पर श्री राज्यपाल महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका सं0 202/1995 (रिट पिटीशन सिविल) टी0एन0 गोडावर्मन थिरूमलंकपाद बनाम यूनियन आफ इण्डिया एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 03.06.2022 के बिन्दु सं0 44(सी) में दिनांक 09.02.2011 के गाइडलाइन्स के सम्यक अनुपालन एवं उक्त आदेश दिनांक 03.06.2022 के बिन्दु सं0 44(डी) में नेशनल पार्क व वन्य जीव सेन्चुरी में खनन कार्य को प्रतिबन्धित किया गया है। साथ ही उक्त आदेश के क्रम में वन्य जीव विहार, प्रयागराज की सीमा से बाहर कम से कम 01 कि0मी0 की दूरी तक के क्षेत्र को ईको सेन्सिटिव जोन बनाया जाना है जो प्रकिया में है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ईको सेन्सिटिव जोन का निर्धारण न होने की दशा में 10 कि0मी0 की परिधि को ईको सेन्सिटिव जोन माना जायेगा। उक्त वन्य जीव विहार में कछुओं व अन्य जलीय जीवों के संरक्षण हेतु गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30 कि0मी0 लम्बाई में फैले क्षेत्र में व इसी सीमा से बाहर कम से कम 10 कि0मी0 की परिधि को (ईको सेन्सिटिव जोन) में

10751
24-01-24

मा0नि0 : FTIC

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
इलाहाबाद

....2

43

-2-

बालू खनन हेतु कोई नवीन खनन पट्टा स्वीकृत न किये जाने तथा पूर्व में स्वीकृत बालू खनन पट्टों को तत्काल निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जाए।

अतः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज के पत्रांक सं0 2018/15-1 दिनांक 14.12.2023 तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश व सन्दर्भित शासनादेश के अनुपालन में जनपद-मीरजापुर की तहसील सदर अन्तर्गत स्थित ग्राम मिश्रपुर, नगवासी, बरोधा कलां, खैरा, मामांव, बेहरा, देवारी मुगौरा, कासी सरपाती, भौरूपुर सातलपत्ती, बरोधा खुर्द, बजला, अजीरोरा, नकबेदरा एवं चककौन की सीमायें जो गंगा नदी की सीमा से मिलती है, में कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनो तटों से आबद्ध 30 कि0मी0 लम्बाई क्षेत्र में व इसकी सीमा से बाहर कम से 10 कि0मी0 तक (ईको सेन्सिटिव जोन) में साधारण बालू का खनन/परिवहन प्रतिबन्धित करते हुए ऐसे खनन क्षेत्र जो वर्तमान में खनन परिहार हेतु विज्ञापित/स्वीकृत/संचालित है, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2- प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
3- मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी क्षेत्र उ0प्र0, प्रयागराज/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
4- मण्डलायुक्त, विंध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
5- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
6- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि जनपद मीरजापुर में कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनो तटों से आबद्ध 30 कि0मी0 लम्बाई क्षेत्र में व इसकी सीमा से बाहर कम से 10 कि0मी0 तक (ईको सेन्सिटिव जोन) में साधारण बालू का खनन/परिवहन न होने पाये, के दृष्टिगत सम्बन्धित को अपने स्तर से भी निर्देशित करें।
7- प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव, वन प्रभाग, मीरजापुर को इस निर्देश से प्रेषित कि जनपद मीरजापुर में कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनो तटों से आबद्ध 30 कि0मी0 लम्बाई क्षेत्र में व इसकी सीमा से बाहर कम से 10 कि0मी0 तक (ईको सेन्सिटिव जोन) में साधारण बालू का खनन /परिवहन न हो।
8- प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर को इस निर्देश से प्रेषित कि जनपद मीरजापुर में कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनो तटों से आबद्ध 30 कि0मी0 लम्बाई क्षेत्र में व इसकी सीमा से बाहर कम से 10 कि0मी0 तक (ईको सेन्सिटिव जोन) में साधारण बालू का खनन /परिवहन न हो।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर

(खनिज अनुभाग)

पत्र सं0– 999 / एम0एम0सी0–30 / खनिज / 2024–25 दिनांक 29/ 5 / 2024

आदेश

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–2168 / 86–2019–57(सा0) / 2017 टी.सी.1 दिनांक 09 / 10 / 2019 में दिये गये निर्देशानुसार तत्कालीन उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली–1963 के अध्याय–4 के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद मीरजापुर में उपलब्ध साधारण बालू (गंगा नदी) के रिक्त खनन क्षेत्रों को ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रणाली के माध्यम से खनन पट्टे पर स्वीकृत किये जाने हेतु विज्ञप्ति पत्रांक सं0 1252 / खनिज / ई–निविदा सह ई–नीलामी / बालू / 2020 दिनांक 04 / 12 / 2020 द्वारा दिनांक 05 / 01 / 2021 से 08 / 01 / 2021 तक ई–निविदा आमंत्रित की गयी, जिसकी ई–नीलामी की कार्यवाही दिनांक 11.01.2021 को सम्पन्न हुई।

ई–नीलामी की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त MSTC से E-mail के माध्यम से प्राप्त आख्या के अनुसार विज्ञप्ति के क्रमांक 02 पर उल्लिखित क्षेत्र जनपद मीरजापुर की तहसील सदर स्थित ग्राम **गोगांव** की आराजी संख्या **03 मि0 / 3** रकबा **5.00** हे0, साधारण बालू (गंगा नदी) की मात्रा **100000** घन मीटर प्रति वर्ष हेतु **श्री प्रशान्त मौर्या पुत्र श्री विनोद कुमार मौर्या पता सुन्दर घाट, महुवरिया, मीरजापुर** द्वारा सर्वोच्च बोली रू0 **74/–** प्रति घन मीटर प्रस्तुत की गयी। कार्यालय पत्रांक 1706 / खनिज / ई–निविदा सह ई–नीलामी / बालू / 2021 दिनांक 02.02.2021 द्वारा सर्वोच्च बोलीदाता **श्री प्रशान्त मौर्या** के पक्ष में सहमति पत्र (Letter of Intent) निर्गत करते हुए प्रतिभूति एवं प्रथम किश्त की धनराशि, अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

श्री प्रशान्त मौर्या द्वारा उक्त खनन पट्टा क्षेत्र के सन्दर्भ में प्रतिभूति व प्रथम वर्ष की प्रथम किश्त के रूप में चालान सं0–B300055 दिनांक 03.02.2021 द्वारा धनराशि रू0 20,75,000 एवं चालान सं0 BH00070 दिनांक 17.02.2021 द्वारा धनराशि रू0 16,19,600 /– कुल धनराशि रू0 36,94,600 को जमा किया गया। **श्री प्रशान्त मौर्या** द्वारा उक्त खनन पट्टा क्षेत्र हेतु अनुमोदित खनन योजना दिनांक 24.05.2021 एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र दिनांक 05.12.2022 प्रस्तुत किया गया। तदोपरान्त श्री प्रशान्त मौर्या के पक्ष में जनपद मीरजापुर की तहसील सदर के ग्राम गोगांव की आराजी सं0 03 मि / 3 रकबा 5.0 हे0 क्षेत्र पर सा0 बालू (गंगा नदी) की मात्रा 1,00,000 घन मी0 हेतु दिनांक 15.12.2022 से दिनांक 14.12.2027 तक 05 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृत / निष्पादित किया गया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों एवं विभागीय पोर्टल के अनुसार **श्री प्रशान्त मौर्या** द्वारा खनन पट्टा विलेख में उल्लिखित निम्न विवरण के अनुसार देय किश्त की धनराशि व अन्य देयता (यथा डी0एम0एफ0 व टी0सी0एस0) की देयता शेष है :–

क0 सं0	पट्टा वर्ष	देय किश्त माह	किश्त की धनराशि	बकाया धनराशि(रू0 में)		
				किश्त की बकाया धनराशि	टी0सी0एस0 की धनराशि	जिला खनिज फाउन्डेशन(DMF) न्यास की धनराशि
प्रतिभूति की धनराशि			18,50,000 /–			
जमा धनराशि प्रतिभूति छोड़कर			18,44,600 /–			
कुल जमा धनराशि			36,94,600 /–			
1	प्रथम वर्ष	दिसम्बर 2022 (20%)	14,80,000	–	–	–
2		जनवरी 2023 (10%)	7,40,000	–	–	–
3		फरवरी 2023 (10%)	7,40,000	–	–	–
4		मार्च 2023 (10%)	7,40,000	–	–	–
5		अप्रैल 2023 (10%)	7,40,000	–	–	–
6		मई 2023 (10%)	7,40,000	–	–	–
7		जून 2023 (10%)	7,40,000	–	–	–
8		अक्टूबर 2023 (10%)	7,40,000	–	–	–
9		नवम्बर 2023 (10%)	7,40,000	6,66,000	29600	1,48,000
		योग –	74,00,000	6,66,000 /–	29,600 /–	1,48,000 /–

बन्दोबस्त

2002
9-9-24

14-6-2024

2

18

पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र के सन्दर्भ में प्रथम वर्ष की प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 18,44,600/– जमा की गयी है जिसमें से प्रथम किश्त की निर्धारित धनराशि रू0 14,80,000 का समायोजन किये जाने के उपरान्त रू0 3,64,600 शेष है, जिसका समायोजन आगामी किश्तों में नही हुआ है। खनन पट्टा विलेख में उल्लिखित उपरोक्त विवरण के अनुसार माह नवम्बर, 2023 की निर्धारित किश्त रू0 7,40,000 के सापेक्ष धनराशि रू0 6,66,000 बकाया है, जिसमें से पूर्व में प्रथम किश्त के रूप में अधिक जमा धनराशि रू0 3,64,600 का समायोजन किये जाने के उपरान्त धनराशि रू0 3,01,400 किश्त के रूप में बकाया है। पट्टाधारक द्वारा कार्यालय अभिलेखानुसार डी0एम0एफ0 की अवशेष धनराशि रू0 1,48,000 एवं टी0सी0एस0 की अवशेष धनराशि रू0 29,600 को जमा नही किया गया है।

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज के पत्रांक सं0 2018/15–1 दिनांक 14.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4 संख्या 346/81–4–2020–823/2008 टी0सी0 लखनऊ दिनांक 17.03.2020 द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1927 की धारा–18 की उपधारा (1) के अधीन जनपद मीरजापुर तहसील सदर अन्तर्गत स्थित ग्राम मिश्रपुर, नगवासी, बसेवरा कलां, खैरा, गोगांव, बेहरा, देवरी मुगौरा, कासी सरपाती, भौरूपुर सतलपत्ती, बसेवरा खुर्द, बजता, अर्जीखेरा, चकचेहरा एवं चककौन की सीमायें जो गंगा नदी की सीमा से मिलती है, में कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनो तटों से आबद्ध 30 कि0मी0 लम्बाई क्षेत्र में व इसकी सीमा से बाहर कम से 10 कि0मी0 की परिधि को (ईको सेन्सिटिव जोन) में बालू खनन हेतु कोई नवीन खनन पट्टा स्वीकृत न किये जाने तथा पूर्व में स्वीकृत बालू खनन पट्टों को तत्काल निरस्त किये जाने की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के अनुक्रम में इस कार्यालय के पत्र सं0 7467/एम0एम0सी0–30/खनिज/2023 दिनांक 01.01.2024 द्वारा कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनो तटों से आबद्ध 30 कि0मी0 लम्बाई क्षेत्र में व इसकी सीमा से बाहर कम से 10 कि0मी0 की परिधि को (ईको सेन्सिटिव जोन) में साधारण बालू का खनन/परिवहन प्रतिबन्धित करते हुए ऐसे खनन क्षेत्र, जो वर्तमान में खनन परिहार हेतु विज्ञापित/स्वीकृत/संचालित हैं, को निरस्त कर दिया गया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4 संख्या 346/81–4–2020–823/2008 टी0सी0 लखनऊ दिनांक 17.03.2020 तथा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज के पत्रांक सं0 2018/15–1 दिनांक 14.12.2023 के अनुपालन में एतद्द्वारा निम्न आदेश पारित किये जाते है :–

1– श्री प्रशान्त मौर्या पुत्र श्री विनोद कुमार मौर्या पता सुन्दर घाट, महुवरिया, मीरजापुर के पक्ष में जनपद मीरजापुर की तहसील सदर स्थित ग्राम गोगांव की आराजी सं0 03 मि/3 रकबा 5.0 हे0 क्षेत्र पर सा0 बालू (गंगा नदी) की मात्रा 1,00,000 घन मी0 हेतु दिनांक 15.12.2022 से दिनांक 14.12.2027 तक 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत/निष्पादित खनन पट्टा को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

2– जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास (डी0एम0एफ0) की बकाया धनराशि रू0 1,48,000 को "जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास, मीरजापुर के खाता संख्या–7658269792 (इण्डियन बैंक) में 30 दिवस के अन्दर जमा कर जमा धनराशि के रसीद की प्रति श्री प्रशान्त मौर्या द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

2

NOTARY R.C. GUPTA Advocate Notary H.O. Alld Reg No. 20/00/2016 Exp Date 2-2-2026 GOVT. OF U.P.

14

-2-

3- टी०सी०एस० (आयकर) की बकाया धनराशि रू० 29,600 को "टी०सी०एस० (आयकर) TAN No. ALDO00528D" में 30 दिवस के अन्दर जमा कर चालान की मूल प्रति श्री प्रशान्त मौर्या द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

4- श्री प्रशान्त मौर्या द्वारा चालान सं०-B300055 दिनांक 03.02.2021 द्वारा धनराशि रू० 20,75,000 एवं चालान सं० BH00070 दिनांक 17.02.2021 द्वारा धनराशि रू० 16,19,600/- कुल धनराशि रू० 36,94,600 में से खनन पट्टा क्षेत्र के सन्दर्भ में प्रतिभूति के रूप में जमा धनराशि रू० 18,50,000 में से माह नवम्बर, 2023 की किश्त की अवशेष बकाया धनराशि रू० 3,01,400.00 को समायोजित किये जाने के पश्चात् अवशेष धनराशि रू० 15,48,600 को श्री प्रशान्त मौर्या के पक्ष में नियमानुसार वापस किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्र संख्या व तद्दिनांक।
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. मण्डलायुक्त, विंध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, खनिज भवन, उ०प्र० लखनऊ।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव, वन प्रभाग, मीरजापुर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार मीरजापुर/आहरण वितरण अधिकारी, जनपद मीरजापुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि श्री प्रशान्त मौर्या पुत्र श्री विनोद कुमार मौर्या पता सुन्दर घाट, महुवरिया, मीरजापुर द्वारा चालान सं०-B300055 दिनांक 03.02.2021 द्वारा धनराशि रू० 20,75,000 एवं चालान सं० BH00070 दिनांक 17.02.2021 द्वारा धनराशि रू० 16,19,600/- कुल धनराशि रू० 36,94,600 में से खनन पट्टा क्षेत्र के सन्दर्भ में प्रतिभूति के रूप में जमा धनराशि रू० 18,50,000 में से माह नवम्बर, 2023 की किश्त की अवशेष बकाया धनराशि रू० 3,01,400.00 को समायोजित किये जाने के पश्चात् अवशेष धनराशि रू० 15,48,600 को उनके पक्ष में वापस किये जाने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
7. श्री प्रशान्त मौर्या पुत्र श्री विनोद कुमार मौर्या पता सुन्दर घाट, महुवरिया, मीरजापुर।

जिलाधिकारी
मीरजापुर।

NOTARY
R.C. OJHA
Advocate Notary
H.C. Alld.
Reg.No. 20(20)2001
Exp. Date
2-2-2026
GOVT. OF U.P.

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर

(खनिज अनुभाग)

पत्र सं0–7846 / एम0एम0सी0–30 / खनिज / 2023–24 दिनांक 20 / 01 / 2024

आदेश

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–2168 / 86–2019–57(सा0) / 2017 टी.सी.1 दिनांक 09 / 10 / 2019 में दिये गये निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के अध्याय–4 के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद मीरजापुर में उपलब्ध साधारण बालू (गंगा नदी) के रिक्त खनन क्षेत्रों को ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रणाली के माध्यम से खनन पट्टे पर स्वीकृत किये जाने हेतु कार्यालय पत्रांक 5049 / खनिज / ई–निविदा सह ई–नीलामी / बालू / 2022 दिनांक 27 / 04 / 2022 द्वारा दिनांक 31 / 05 / 2022 से 03 / 06 / 2022 तक ई–निविदा आमंत्रित की गयी।

ई–नीलामी की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त MSTC से E-mail के माध्यम से प्राप्त आख्या के अनुसार विज्ञप्ति के क्रमांक 01 पर उल्लिखित क्षेत्र जनपद मीरजापुर की तहसील सदर स्थित ग्राम गोगांव की आराजी संख्या 03 मि0 / 4 रकबा 5.00 हे0, साधारण बालू (गंगा नदी) की मात्रा 100000 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु श्री विजय कुमार सिंह पता–दुबारकलां, लालगंज, मीरजापुर द्वारा सर्वोच्च बोली रू0 92/– प्रति घन मीटर प्रस्तुत की गयी। कार्यालय पत्रांक 852 / खनिज / ई–निविदा सह ई–नीलामी / बालू / 2022 दिनांक 29.06.2022 द्वारा सर्वोच्च बोलीदाता श्री विजय कुमार सिंह के पक्ष में सहमति पत्र (Letter of Intent) निर्गत करते हुए प्रतिभूति एवं प्रथम किश्त की धनराशि, अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

श्री विजय कुमार सिंह द्वारा उक्त खनन पट्टा क्षेत्र के सन्दर्भ में प्रतिभूति व प्रथम वर्ष की प्रथम किश्त के रूप में चालान सं0–GE00091 दिनांक 14.07.2022 द्वारा धनराशि रू0 16,19,600 एवं चालान सं0– AKV220013298 दिनांक 30.06.2022 द्वारा धनराशि रू0 25,15,000 कुल धनराशि रू0 41,34,600 को जमा किया गया। श्री विजय कुमार सिंह द्वारा उक्त खनन पट्टा क्षेत्र हेतु अनुमोदित खनन योजना दिनांक 02.11.2022 एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र दिनांक 27.12.2023 प्रस्तुत किया गया।

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज के पत्रांक सं0 2018 / 15–1 दिनांक 14.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4 संख्या 346 / 81–4–2020–823 / 2008 टी0सी0 लखनऊ दिनांक 17.03.2020 द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1927 की धारा–18 की उपधारा (1) के अधीन जनपद मीरजापुर तहसील सदर अन्तर्गत स्थित ग्राम मिश्रपुर, नगवासी, बसेवरा कलां, खैरा, गोगांव, बेहरा, देवारी मुगौरा, कासी सरपाती, भौरूपुर सतलपत्ती, बसेवरा खुर्द, बजाता, अर्जीखेरा, चकचेहरा एवं चककौन की सीमायें जो गंगा नदी की सीमा से मिलती है, में कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आवद्ध 30 कि0मी0 लम्बाई क्षेत्र में व इसकी सीमा से बाहर कम से 10 कि0मी0 की परिधि को (ईको सेन्सिटिव जोन) में बालू खनन हेतु कोई नवीन खनन पट्टा स्वीकृत न किये जाने तथा पूर्व में स्वीकृत बालू खनन पट्टों को तत्काल निरस्त किये जाने की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है।

....2

—2—

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज के पत्रांक सं0 2018/15–1 दिनांक 14.12.2023 तथा उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4 संख्या 346/81–4–2020–823/2008 टी0सी0 लखनऊ दिनांक 17.03.2020 के अनुपालन में एतद्द्वारा निम्न आदेश पारित किये जाते है :–

1— श्री विजय कुमार सिंह पता–दुबारकलां, लालगंज, मीरजापुर के पक्ष में जनपद मीरजापुर की तहसील सदर स्थित ग्राम गोगांव की आराजी संख्या 03 मि0/4 रकबा 5.00 हे0, साधारण वालू (गंगा नदी) की मात्रा 100000 घन मीटर क्षेत्र हेतु निर्गत आशय पत्र (Letter of Intent) सं0–852/खनिज/ई–निविदा सह ई–नीलामी/बालू/2022 दिनांक 29.06.2022 को निरस्त किया जाता है।

2— श्री विजय कुमार सिंह पता–दुबारकलां, लालगंज, मीरजापुर के पक्ष में जनपद मीरजापुर की तहसील सदर स्थित ग्राम गोगांव की आराजी संख्या 03 मि0/4 रकबा 5.00 हे0, साधारण वालू (गंगा नदी) की मात्रा 100000 घन मीटर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च बोलीदाता द्वारा प्रतिभूति व प्रथम वर्ष की प्रथम किश्त के रूप में चालान सं0–GE00091 दिनांक 14.07.2022 द्वारा धनराशि रू0 16,19,600 एवं चालान सं0–AKV220013298 दिनांक 30.06.2022 द्वारा धनराशि रू0 25,15,000 कुल धनराशि रू0 41,34,600 को सर्वोच्च बोलीदाता श्री विजय कुमार सिंह के पक्ष में नियमानुसार वापस किया जाता है।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्र संख्या व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, खनिज भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
3. शाखा प्रबन्धक, एम0एस0टी0सी0 (भारत सरकार), लखनऊ, उ0प्र0।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार मीरजापुर/आहरण वितरण अधिकारी, जनपद मीरजापुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि श्री विजय कुमार सिंह पता–दुबारकलां, लालगंज, मीरजापुर द्वारा विषयांकित क्षेत्र के सन्दर्भ में जनपद मीरजापुर के खनिज लेखाशीर्षक में चालान सं0–GE00091 दिनांक 14.07.2022 द्वारा धनराशि रू0 16,19,600 एवं चालान सं0–AKV220013298 दिनांक 30.06.2022 द्वारा धनराशि रू0 25,15,000 कुल धनराशि रू0 41,34,600 को उनके पक्ष में वापस किये जाने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
5. श्री विजय कुमार सिंह पता–दुबारकलां, लालगंज, मीरजापुर।

जिलाधिकारी
मीरजापुर।

NOTARY R.C. OJHA

कार्यालय जिलाधिकारी, प्रयागराज

(खनन अनुभाग)

पत्रांक: 1703 / खनिज / 2024-25 दिनांक: 22 / 08 / 2024

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।

विषय— मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0—135/2024 खुशबू सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0—जी00779/एन0जी0टी0—ओ0ए0 सं0—135/2024 दिनांक 16.08.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0—135/2024 खुशबू सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के अनुपालन में जनपद प्रयागराज क्षेत्र में आने वाले Tirtle Wildlife Sanctuary में यदि कोई माईनिंग लीज जारी हो गयी हो तो तत्सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज के पत्र सं0—445/15—1 दिनांक 09.08.2024 (संलग्नक—1) द्वारा जनपद प्रयागराज के तहसील मेजा अन्तर्गत स्थित ग्राम भुईपारा कछार के गाटा संख्या—01 के खण्ड संख्या—33 (क्षे0 5 हे0) एवं खण्ड संख्या—34 (क्षे0 5 हे0) तथा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज के पत्र सं0—436/15—1 दिनांक 08.08.2024 (संलग्नक—2) द्वारा ग्राम परानीपुर कछार के गाटा संख्या—2क के खण्ड संख्या—29 (क्षे0 5हे0), गाटा संख्या—2क, 45 के खण्ड संख्या—30 (क्षे0 5हे0) गाटा संख्या—01, 61क के खण्ड संख्या—31 (क्षे0 5हे0) व खण्ड संख्या—32 (क्षे0 5हे0), कछुआ वन्य जीव विहार के ईको सेन्सिटिव जोन (ESZ) की सीमा (10 किमी0) की परिधि में आता है। अतः मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के विभिन्न आदेशों के आलोक में कछुआ वन्य जीव विहार के ईको सेन्सिटिव जोन (ESZ) की सीमा (10 किमी0) की परिधि के अन्दर बालू खनन पट्टा हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना सम्भव नहीं बताया गया है।

जनपद प्रयागराज के साधारण बालू के नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु एस0ओ0पी0 के अनुसार गठित Sub-Divisional Committee (SDC) की बैठक दिनांक 08.08.2024 के कार्यवृत्त संख्या—1483/खनिज/2024—25 दिनांक 08.08.2024 में वन विभाग के उपरोक्त पत्र के आधार पर उक्त खनन क्षेत्रों को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट—2024 से हटाने की संस्तुति की गयी है।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त खनन क्षेत्र जिन पर वन विभाग द्वारा कछुआ वन्य जीव विहार के ईको सेन्सिटिव जोन (ESZ) की सीमा (10 किमी0) की परिधि में होने के कारण वन अनापत्ति नहीं दी गयी है, के सम्बन्ध में पूर्व में जारी वन अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर खनन क्षेत्र खनन परिहार पर व्यवस्थित किये गये थे। उक्त सभी खनन क्षेत्रों हेतु स्वीकृत खनन पट्टा निरस्त कर दिया गया है, का विवरण निम्नवत् है:—

क्र0 सं0	क्षेत्र का विवरण				पूर्व में जारी वन अनापत्ति प्रमाण पत्र का दिनांक	पट्टा अवधि	अभ्युक्ति
	तहसील	ग्राम	खण्ड सं0	रकबा (हे0)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मेजा/ हण्डिया	परानीपुर	29	5.00	06.09.2019	29.11.2018 से 28.11.2023	आदेश सं0—1176/खनिज/ई—नीलाम बालू/2019—20 दिनांक 19.10.2019 द्वारा खनन पट्टा निरस्त कर दिया गया है।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
इलाहाबाद

2.	मेजा/ हण्डिया	परानीपुर	30	5.00	06.09.2019	06.01.2021 से 06.01.2026	आदेश सं0–1281/खनिज/2023–24 दिनांक 11.07.2024 द्वारा खनन पट्टा निरस्त कर दिया गया है।
3.	मेजा/ हण्डिया	परानीपुर	31	5.00	06.09.2019	05.01.2022 से 04.01.2027	आदेश सं0–1692/खनिज/2024–25 दिनांक 22.08.2024 द्वारा खनन पट्टा निरस्त कर दिया गया है।
4.	मेजा	परानीपुर	32	5.00	06.09.2019	–	उक्त खनन क्षेत्र हेतु जारी आशय पत्र सं0–1642/खनिज/2022–23 दिनांक 09.09.2022 को आदेश सं0–1690/खनिज/2024–25 दिनांक 22.08.2024 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।
5.	मेजा	परानीपुर	33	5.00	06.09.2019	–	उक्त खनन क्षेत्र हेतु जारी आशय पत्र सं0–2514/खनिज/2023–24 दिनांक 25.01.2024 को आदेश सं0–1691/खनिज/2024–25 दिनांक 22.08.2024 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।
6.	मेजा	भूईपारा	34	5.00	06.09.2019	–	उक्त खनन क्षेत्र हेतु जारी आशय पत्र सं0–1545/खनिज/2022–23 दिनांक 09.09.2022 को आदेश सं0–508/खनिज/2023–24 दिनांक 29.05.2023 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त खनन पट्टों से सम्बन्धित निरस्तीकरण आदेश की छायाप्रति संलग्न करते हुए आपसे अनुरोध है कि तद्नुसार प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करें।

संलग्नक–यथोक्त।

(अजय कुमार यादव)
ज्येष्ठ खान अधिकारी
प्रयागराज।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
4. निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, लखनऊ।
5. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।
6. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।

(अजय कुमार यादव)
ज्येष्ठ खान अधिकारी
प्रयागराज।

NOTARY GOVT OF U.P.
R.C. OJHA
Advocate Notary
H.C. Alld
Reg.No 20(20)2881
Exp. Date 2-2-2026

ANNEXURE-6

ई/ब.प./2020-21 दिनांक- 15.02.2021

प्रभारी मुख्य अभियन्ता

कार्यालय प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-21 के अन्तर्गत उदघोषणा

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-18 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा निम्नलिखित क्षेत्र को वन्य जीव और उनके पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं विकास कार्य के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पारिस्थितिक, प्राणिजात, प्राकृतिक और प्राणितत्वीय महत्व को पाते हुए जिला प्रयागराज, भदोही एवं मिर्जापुर के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30 किमी तक फैले क्षेत्र को कछुआ वन्य जीव विहार घोषित किया गया है, जिसकी अधिसूचना उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 346/81-4-2020-823/2008 टी0सी0 दिनांक 17.03.2020 द्वारा निर्गत की गयी है। प्रस्तावित वन्य जीव विहार की सीमाएं निम्न प्रकार हैं:-

जिला	नदी का नाम	कछुआ वन्यजीव विहार का क्षेत्र
प्रयागराज, भदोही और मिर्जापुर	गंगा	गंगा नदी के दोनो तटों से सीमाबद्ध गंगा नदी के मुख्य धारा का 30 किमी0 लम्बाई में फैला क्षेत्र
सीमाएं	पूरब (नदी का अधोः प्रवाह)	ग्राम-बारीपुर उपरहार, ज्ञानपुर, जिला-भदोही की राजस्व सीमा में:- अक्षांश- 25.273769, देशान्तर- 82.287486
	पश्चिम (नदी का उर्ध्व प्रवाह)	ग्राम- कोठरी, मेजा, ज़िला-प्रयागराज की राजस्व सीमा में:-अक्षांश- 25.215000, देशान्तर- 82.194814
	उत्तर	गंगा नदी का उत्तरी तट
	दक्षिण	गंगा नदी का दक्षिणी तट

उपरोक्त सीमा के अन्तर्गत जनपद प्रयागराज की सीमा में स्थित क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकार एवं स्वत्व के अस्तित्व की समस्या हो तो वह उक्त घोषणा के दो माह के अन्दर अपना दावा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। दावे में निम्नलिखित ब्यौरों का आवश्यक रूप से उल्लेख किया जायेगा:-

(क) उसके अधिकार एवं स्वत्व की प्रकृति (ख) दावा (ग) दावे की राशि (घ) प्रतिकर।

कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्तानुसार अपने दावे को प्रस्तुत करेगा, उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने दावे के साथ दावाकृत विवरण एवं सुस्पष्ट अभिलेखीय साक्ष्य भी प्रस्तुत करें

कलक्टर/जिलाधिकारी, प्रयागराज

नोट:- यदि किसी व्यक्ति को अपना दावा प्रस्तुत करना है तो वह अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के कलेक्ट्रेट प्रयागराज स्थित कार्यालय कक्ष मे प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 2 बजे तक किसी भी कार्यालय दिवस में प्रस्तुत कर सकता है।

पत्रांक : 2595/15-1 दिनांक, प्रयागराज, फरवरी, 15, 2021

NOTARY R.C. OJHA Advocate Notary H.C. Alld Reg No. 20/20/2081 Exp Date 2-2-2026 GOVT. OF U.P.

ANNEXURE-7

कार्यालय जिलाधिकारी मिर्जापुर

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-21 के अन्तर्गत उदघोषणा

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-18 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा निम्नलिखित क्षेत्र को वन्य जीव और उनके पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं विकास कार्य के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पारिस्थितिक, प्राणिजात, प्राकृतिक और प्राणितत्वीय महत्व को पाते हुए जिला प्रयागराज, भदोही एवं मिर्जापुर के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30 किमी तक फैले क्षेत्र को कछुआ वन्य जीव विहार घोषित किया गया है, जिसकी अधिसूचना उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 346/81-4-2020-823/2008 टी0सी0 दिनांक 17.03.2020 द्वारा निर्गत की गयी है। प्रस्तावित वन्य जीव विहार की सीमाएं निम्न प्रकार हैं:-

जिला	नदी का नाम	कछुआ वन्यजीव विहार का क्षेत्र
प्रयागराज, भदोही और मिर्जापुर	गंगा	गंगा नदी के दोनों तटों से सीमाबद्ध गंगा नदी के मुख्य धारा का 30 किमी0 लम्बाई में फैला क्षेत्र
सीमाएं	पूरब (नदी का अधोः प्रवाह)	ग्राम-बारीपुर उपरहार, ज्ञानपुर, जिला-भदोही की राजस्व सीमा में:- अक्षांश- 25.273769, देशान्तर- 82.287486
	पश्चिम (नदी का उर्ध्व प्रवाह)	ग्राम- कोठरी, मेजा, जिला-प्रयागराज की राजस्व सीमा में:- अक्षांश- 25.215000, देशान्तर- 82.194814
	उत्तर	गंगा नदी का उत्तरी तट
	दक्षिण	गंगा नदी का दक्षिणी तट

उपरोक्त सीमा के अन्तर्गत जनपद मिर्जापुर की सीमा में स्थित क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकार एवं स्वत्व के अस्तित्व की समस्या हो तो वह उक्त घोषणा के 60 दिन के अन्दर अपना दावा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। दावे में निम्नलिखित ब्यौरों का आवश्यक रूप से उल्लेख किया जायेगा:-

(क) उसके अधिकार एवं स्वत्व की प्रकृति (ख) दावा (ग) दावे की राशि (घ) प्रतिकर।

कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्तानुसार अपने दावे को प्रस्तुत करेगा, उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने दावे के साथ दावाकृत विवरण एवं सुस्पष्ट अभिलेखीय साक्ष्य भी प्रस्तुत करें

कलक्टर/जिलाधिकारी, मिर्जापुर

नोटः- यदि किसी व्यक्ति को अपना दावा प्रस्तुत करना है तो वह मुख्य राजस्व अधिकारी (C.R.O.) के कलेक्ट्रेट मिर्जापुर स्थित कार्यालय कक्ष में प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 2 बजे तक किसी भी कार्यालय दिवस में निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत कर सकता है।

पत्रांक : 2846/5-8 दिनांक, मिर्जापुर, मार्च, 04, 2021

09 • वाराणसी • शनिवार • 06 मार्च 2021 हिन्दुस्तान आज का

NOTARY R.C. OJHA Advocate Notary H.C. Alld Reg No. 2... Exp ... GOVT. OF U.P.

ANNEXURE-8

कार्यालय जिलाधिकारी भदोही

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-21 के अन्तर्गत उदघोषणा

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-18 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा निम्नलिखित क्षेत्र को वन्य जीव और उनके पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं विकास कार्य के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पारिस्थितिक, प्राणिजात, प्राकृतिक और प्राणितत्वीय महत्व को पाते हुए जिला प्रयागराज, भदोही एवं मिर्जापुर के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आयद्ध 30 किमी तक फैले क्षेत्र को कछुआ वन्य जीव विहार घोषित किया गया हैं, जिसकी अधिसूचना उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 346/81-4-2020-823/2008 टी0सी0 दिनांक 17.03.2020 द्वारा निर्गत की गयी है। प्रस्तावित वन्य जीव विहार की सीमाएं निम्न प्रकार हैं:-

जिला	नदी का नाम	कछुआ वन्यजीव विहार का क्षेत्र
प्रयागराज, भदोही और मिर्जापुर	गंगा	गंगा नदी के दोनों तटों से सीमावद्ध गंगा नदी के मुख्य धारा का 30 किमी0 लम्बाई में फैला क्षेत्र
सीमाएं	पूरब (नदी का अधोः प्रवाह)	ग्राम-वारीपुर उपरहार, ज्ञानपुर, जिला-भदोही की राजस्व सीमा में:- अक्षांश- 25.273769, देशान्तर- 82.287486
	पश्चिम (नदी का उर्ध्व प्रवाह)	ग्राम- कोठरी, मेजा, जिला-प्रयागराज की राजस्व सीमा में:- अक्षांश- 25.215000, देशान्तर- 82.194814
	उत्तर	गंगा नदी का उत्तरी तट
	दक्षिण	गंगा नदी का दक्षिणी तट

उपरोक्त सीमा के अन्तर्गत जनपद भदोही की सीमा में स्थित क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकार एवं स्वत्व के अस्तित्व की समस्या हो तो वह उक्त घोषणा के 60 दिन के अन्दर अपना दावा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। दावे में निम्नलिखित ब्यौरों का आवश्यक रूप से उल्लेख किया जायेगा:-

(क) उसके अधिकार एवं स्वत्व की प्रकृति (ख) दावा (ग) दावे की राशि (घ) प्रतिकर।

कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्तानुसार अपने दावे को प्रस्तुत करेगा, उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने दावे के साथ दावाकृत विवरण एवं सुस्पष्ट अभिलेखीय साक्ष्य भी प्रस्तुत करें

कलक्टर/जिलाधिकारी, भदोही

नोट:- यदि किसी व्यक्ति को अपना दावा प्रस्तुत करना है तो वह अपर जिलाधिकारी-वित्त एवं राजस्व भदोही के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय कक्ष में पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 2 बजे तक किसी भी कार्यालय दिवस में निर्धारित तिथि के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

पत्रांक : 3216/58 दिनांक, भदोही, मार्च, 20, 2021